इसे वेबसाइट **www.govtpress.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 290] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 31 मई 2022–ज्येष्ठ 10, शक 1944

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, बिट्टन मार्केट, ई–5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल–462016

भोपाल, दिनांक 31 मई 2022

क्रमांक– 1165 /मप्रविनिआ/2022, विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक, 36, वर्ष 2003) की धारा 181 सहपठित धारा 45(3)(ख) एवं 46 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा समय–समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाइन प्रदान करने अथवा उपयोग किये संयन्त्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) विनियम, (पुनरीक्षण–प्रथम), 2009 को पुनरीक्षित करता है :

अध्याय–एक

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभः

1.1 ये विनियम "मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाइन प्रदान करने अथवा उपयोग किये संयन्त्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण–द्वितीय) विनियम, 2022 {आरजी–31(II), वर्ष 2022}" कहलायेंगे।

1.2 ये विनियम मध्यप्रदेश राज्य में समस्त वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को उनके तत्संबंधी अनुज्ञप्ति–प्राप्त क्षेत्रों में प्रयोज्य होंगे।

1.3 ये विनियम मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचित किये जाने की तिथि से प्रभावशील होंगे :

परन्तु यह कि ऐसे आवेदक जिनके द्वारा इन विनियमों के लागू होने से पूर्व विद्यमान विनियमों, यथा समय–समय पर यथासंशोधित 'मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाइन प्रदान करने अथवा उपयोग किये संयन्त्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) विनियम, (पुनरीक्षित–प्रथम), 2009' के अनुसार प्रभारों का भुगतान किया गया है, उन्हें उक्त विनियमों के अनुसार नियंत्रित किया जाना जारी रहेगा।

अध्याय–दो

2. परिभाषाएं:

2.1 इन विनियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, विद्युत अधिनियम,2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003);

(ख) "आवेदक" से अभिप्रेत है एक व्यक्ति जो कि एक परिसर का स्वामी अथवा अधिवासी है अथवा भवन निर्माता (बिल्डर), विकासक (डेवलपर), समिति (सोसायटी)/प्रत्याशित उपभोक्ताओं का समूह है जिसके द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत आपूर्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है;

(ग) "आयोग" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग ;

(घ) "वितरण अनुज्ञप्तिधारी" से अभिप्रेत है एक अनुज्ञप्तिधारी जो उसके प्रदाय क्षेत्र में उपभोक्ताओं को विद्युतआपूर्ति हेतु किसी वितरण प्रणाली के संचालन तथा संधारण के लिये प्राधिकृत है

(ङ) "वितरण प्रसंवाही (डिस्ट्रीब्यूशन मेन)" से तात्पर्य है किसी प्रसंवाही का एक भाग जिसके साथ सेवा तन्तुपथ (सर्विस लाइन) सीधे संयोजित है अथवा जिसे तत्काल संयोजित किया जाना अभिप्रेत है ;

(च) "वितरण प्रणाली" से अभिप्रेत है पारेषण लाइनों के वितरण बिन्दुओं या विद्युत उत्पादन केन्द्र के संयोजन (कनेक्शन) तथा उपभोक्ताओं/आवेदकों की स्थापना के संयोजन बिन्दु के मध्य तारों की प्रणाली तथा संबद्ध सुविधाएं ;

(छ) "विद्युत तन्तुपथ" से अभिप्रेत है ऐसा कोई तन्तुपथ या लाइन जिसे किसी प्रयोजन से विद्युत संवाहन हेतु उपयोग किया किया जाता हो तथा इसमें सम्मिलित होंगे ;

(एक) ऐसे किसी तन्तुपथ (लाइन) हेतु कोई आलम्ब, जिसका अभिप्राय किसी संरचना, टावर, खम्भा (पोल) अथवा अन्य किसी वस्तु से है जिसके अन्दर, ऊपर या द्वारा से है जिसके द्वारा ऐसा कोई तन्तुपथ आलम्बित किया गया, वहन किया गया अथवा लटकाया गया हो ; एवं

(दो) विद्युत के संवाहन के प्रयोजन से ऐसे किसी तन्तुपथ से संयोजित कोई उपस्कर ;

(ज) "विद्युत संयत्र (इलेक्ट्रिक प्लांट)" से अभिप्रेत है, कोई संयत्र, उपकरण, उपस्कर अथवा यन्त्र अथवा इसका कोई भाग जिसे विद्युत उत्पादन, पारेषण, वितरण अथवा आपूर्ति हेतु प्रयोग में लाया जा रहा हो अथवा संयोजित किया गया हो तथा इसमें निम्न सम्मिलित नहीं होंगे :

एक. एक विद्युत तन्तुपथ (लाइन) ; अथवा

दो. एक मापयन्त्र (मीटर) जिसे किसी परिसर में विद्युत आपूर्ति की मात्रा अभिनिश्चित किये जाने बाबत् उपयोग में लाया जा रहा हो ; अथवा

तीन. एक विद्युत उपकरण, उपस्कर अथवा यन्त्र जो किसी उपभोक्ता/आवेदकों के नियंत्रण में हो ;

(झ) "अति उच्च दाब (एक्स्ट्रा हाई टेंशन–EHT)" से अभिप्रेत है 33000 वोल्ट से अधिक के प्रदाय वोल्टेज ;

(ञ) "उच्च दाब (हाई टेंशन–HT)" से अभिप्रेत है 400 वोल्ट से अधिक तथा 33000 वोल्ट तक का तथा सम्मिलित प्रदाय वोल्टेज ;

(ट) "अवैध कॉलोनी" का अर्थ वही होगा जैसा कि इसे यथासंशोधित मध्यप्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम, 1982 में परिभाषित किया गया है ;

(ठ) "औद्योगिक क्षेत्र" का वही अर्थ होगा जैसा कि इसे यथासंशोधित "मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं औद्योगिक भवन प्रबन्धन नियम, 2015" में परिभाषित किया गया है ;

(ड) "औद्योगिक पार्क" से अभिप्रेत है

एक. एकीकृत विनिर्माण गतिविधियों के कार्यान्वयन हेतु, औद्योगिक अधोसंरचना के विकास हेतु एक औद्योगिक आदर्श नगर (मॉडल टाऊन) की स्थापना जिसके अनुसार उसके परिवेश के अन्तर्गत भूखण्डों अथवा शेडों तथा सामान्य सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए, अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को शामिल करना ; अथवा

दो. औद्योगिक संरचनात्मक गतिविधियों के विकास हेतु औद्योगिक पार्क या फिर औद्योगिक उपयोग के प्रयोजनों हेतु आवंटित या चिन्हांकित क्षेत्र में सामान्य सुविधाओं से युक्त निर्मित औद्योगिक स्थल ; अथवा

तीन. भारत सरकार की औद्योगिक विकास केन्द्र योजना के अधीन कोई औद्योगिक विकास केन्द्र :

(ढ) "केवी (KV)" से अभिप्रेत है,किलो वोल्ट ;

(ण) "निम्न दाब (लो टेंशन–LT)" से अभिप्रेत है 400 वोल्ट अथवा इससे कम के प्रदाय वोल्टेज ;

(त) "मप्रविसु अधिनियम" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 (क्रमांक 4, वर्ष 2001);

(थ) "बहु–उपभोक्ता संकुल (मल्टीयूजर कॉम्पलेक्स)" से अभिप्रेत है एक भवन अथवा भवनों का समूह जो एक से अधिक संयोजनों से युक्त है तथा जहां कुल प्राक्कलित संयोजित भार 50 किलोवाट या इससे अधिक है ;;

(द) "निवेश क्षेत्र" तथा "विकास योजना" का वही अर्थ होगा जैसा कि इसे समय–समय यथासंशोधित "मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973" में परिभाषित किया गया है ;

(ध) "विद्युत आपूर्ति का प्रारंभिक बिन्दु" से अभिप्रेत है, निम्न दाब स्थापनाओं के प्रकरण में उपभोक्ता/आवेदक के परिसर में स्थापित अनुज्ञप्तिधारी के कटआऊटों के बहिर्गामी छोर (टर्मिनल्स) तथा उच्च दाब स्थापनाओं के प्रकरण में किसी उपभोक्ता/आवदेक के उपस्कर से पूर्व रखे गये अनुज्ञप्तिधारी के मापयन्त्र उपकरण के बहिर्गामी छोर (टर्मिनल्स);

(न) "परिसर" में सम्मिलित होगी कोई भूमि, भवन अथवा संरचना ;

(प) "ग्रामीण क्षेत्र" का वही अर्थ होगा जैसा कि राज्य शासन द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 14 में अधिसूचित किया गया है ;

(फ) "सेवा तन्तुपथ (सर्विस लाइन)" से अभिप्रेत है कोई विद्युत प्रदाय तन्तुपथ (लाइन) जिसके माध्यम से निम्न दर्शाये को विद्युत आपूर्ति की जा रही है अथवा किया जाना अभिप्रेत है :–

एक. किसी एकल उपभोक्ता/आवेदक को एक वितरण प्रंसवाही (मेन) से अथवा वितरण अनुज्ञप्तिधारी परिसर से सीधे ; अथवा

दो. उसी परिसर में सीधे किसी वितरण प्रंसवाही (मेन) से उपभोक्ताओं/आवेदकों के समूह को या फिर वितरण प्रंसवाही के उसी बिन्दु से संस्पर्शी परिसर में ;

(ब) "शॉपिग मॉल" से अभिप्रेत है एक बहुमंजिला बाजार केन्द्र, जो पैदल भ्रमण करने वालों हेतु मार्ग तक सीमित समावृत है तथा जिनमें स्वतंत्र खुदरा स्टोर्स का समूह, सेवाएं तथा वाहनों हेतु पार्किंग क्षेत्र किसी इकाई के रूप में किसी प्रबंधन संस्था/विकासक द्वारा निर्मित तथा संधारित किये जाते हैं ;

(भ) "गन्दी बस्ती क्षेत्र" से अभिप्रेत है एक ऐसा क्षेत्र जिसे मध्यप्रदेश गन्दी बस्ती क्षेत्र (सुधार तथा निर्मूलन) अधिनियम, 1976 की धारा 3 के अधीन भावी गन्दी बस्ती क्षेत्र घोषित किया गया है ;

(म) "मानक/प्रचलित दर–अनुसूची (स्टैण्डर्ड/करंट शेड्यूल ऑफ रेट्स)" से अभिप्रेत है वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा तैयार की गई तथा नियतकालिक प्रकाशित की गई दर–अनुसूची ;

(य) "विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभार (सप्लाई अफोर्डिंग चार्जेस)" से अभिप्रेत है इन विनियमों के उपबन्धों के अनुसार विद्यमान उपभोक्ता के भार में वृद्धि हेतु नवीन उपभोक्ता आवेदक की आवश्यकता की पूर्ति हेतु उपभोक्ताओं/आवेदकों द्वारा देय विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारी को, यथास्थिति, वितरण प्रणाली, तथा पारेषण प्रणाली को विकसित करने तथा सुदृढ़ता प्रदान करने हेतु लागत ; और

(र) "टर्मिनल (छोर) बिन्दु" से अभिप्रेत है तकनीकी व्यवहार्यता के अनुसार संयोजन बिन्दु जिसके माध्यम से उपभोक्ताओं/आवेदकों को विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

2.2 प्रयुक्त शब्द एवं अभिव्यक्तियां जो इन विनियमों में परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ रखेंगी जैसा कि अधिनियम में इनके लिये प्रयुक्त हैं। इन विनियमों तथा अधिनियम, में किसी प्रकार की विसंगति होने की दशा में, इनके लिये अधिनियम में नियत किये गये अर्थ ही प्रचलित होंगे।

व्याख्या :

इन विनियमों की व्याख्या में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

क. एकवचन अथवा बहुवचन शब्द, यथा प्रसंग, क्रमशः बहुवचन अथवा एकवचन शब्द भी सम्मिलित किये गये माने जाएंगे।

ख. शब्दों "सम्मिलित" अथवा "सम्मिलित किये गये" को "बिना किसी परिसीमा" अथवा "परन्तु किसी परिसीमा के अर्न्तगत नहीं" अनुसरण किया गया माना जाएगा भले ही ऐसे शब्दों के उपरान्त ऐसे वाक्यांश अथवा मिलते–जुलते आयातित शब्द जुड़े हों।

ग. यहां "विनियम" से किये गये संदर्भों को इन विनियमों के संदर्भ में समझा जाएगा जैसा कि इन्हें आयोग द्वारा प्रयोज्य प्रचलित विधि द्वारा समय–समय पर संशोधित अथवा परिवर्तित किया गया हो।

घ. शीर्षकों को सुविधा हेतु अन्तर्स्थापित किया गया है तथा इनका अर्थ विनियमों की व्याख्या के प्रयोजन से प्रयोग नहीं किया जाएगा।

ड़. किन्ही संस्थापित अधिनियमों, विनियमों अथवा मार्गदर्शन के संदर्भमें समस्त उपबंध ऐसे अधिनियमों, विनियमों अथवा मार्गदर्शन जैसा कि इन्हें समेकित, संशोधित अथवा परिवर्तित किया गया है, को सम्मिलित कर समझे जाएंगे, जैसा कि प्रकरण अथवा संदर्भ लागू हो।

अध्याय–तीन

3. सामान्य :

3.1 इन विनियमों के अधीन आवेदक/उपभोक्ता से प्रभार, उनकी प्रयोज्य सीमा के भीतर वसूलीयोग्य होंगे।

3.2 वितरण अधिकारी आवेदक/उपभोक्ता से इन विनियमों के माध्यम से केवल आयोग द्वारा अनुमोदित प्रभारों की वसूली अग्रिम रूप से नवीन उपभोक्ता/आवेदक को विद्युत प्रदाय करने के प्रयोजन हेतु अथवा विद्यमान निम्न दाब के संयोजन में वृद्धि हेतु तथा विद्यमान उच्च दाब संयोजन हेतु संविदा मांग में वृद्धि हेतु ही कर सकेगा। इन प्रभारों का पूर्ण भुगतान प्राप्त होने पर ही संयोजन को सेवाकृत किया जाएगा/भार में वृद्धि अनुज्ञेय की जाएगी।

3.3 निम्न दाब संयोजनों हेतु संयोजित भार तथा उच्च दाब संयोजन हेतु संविदा मांग में वृद्धि के प्रकरण में विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभारों की गणना निम्न दाब संयोजन हेतु कुल संयोजित भार और उच्च दाब संयोजनों हेतु कुल संविदा मांग में से, तत्संबंधी स्लैबों के अन्तर्गत वृद्धि से पूर्व विद्यमान संयोजित भार/संविदा मांग को प्रयोज्य प्रभार घटाकर की जाएगी जैसा कि यह इन विनियमों में उपबन्धित किया गया है। तथापि, निम्न दाब उपभोक्ताओं के प्रकरण में जो मांग आधारित विद्युत–दर धारित करते हैं, को 150 अश्वशक्ति तक की संविदा मांग में वृद्धि हेतु विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभार देय नहीं होंगे, यदि निम्न दाब उपभोक्ता द्वारा संयोजित भार हेतु विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभारों हेतु पूर्व

ही से निम्न दाब उपभोक्ता द्वारा संयोजित भार हेतु विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभारों का भुगतान किया जा चुका हो :

परन्तु यह कि यदि उपभोक्ता(गण) यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 के अनुसार एक विशिष्ट स्तर पर अनुज्ञेय सीमा के परे मांग किये गये भार में वृद्धि करने के इच्छुक होने के कारण परिवर्तन करने का/के इच्छुक हो/हों या फिर उच्चतर वोल्टेज पर परिवर्तित होने का/के इच्छुक हो/हों जो कि उच्चतर वोल्टेज भार सीमाओं हेतु पात्रता रखते हों, ऐसे उपभोक्ता को ऐसी उच्चतर वोल्टेज पर विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभारों का भुगतान करना होगा।

3.4 वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निम्न दाब उपभोक्ताओं हेतु विद्युत भार का पूर्वानुमान आयोग द्वारा अधिसूचित तथा समय–समय पर संशोधित विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 में किये गये प्रावधान के अनुसार किया जाएगा जो इस शर्त के अध्यधीन होगा कि निम्न दाब पर कुल मांग किया गया भार समय–समय पर यथासंशोधित विद्युत प्रदाय संहिता 2021 में विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक न हो। तथापि, उच्च दाब उपभोक्ताओं के प्रकरण में संविदा मांग उपभोक्ता/आवेदक द्वारा आवेदित किये गये अनुसार होगी।

3.5 वितरण अनुज्ञप्तिधारी विद्युत प्रदाय समय–समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2021 में विनिर्दिष्ट समय–सीमा के भीतर करेगा।

3.6 मापयंत्र (मीटर) तथा मापयन्त्र उपकरण की स्थापना/सुरक्षित अधिष्ठापन (हाउसिंग) हेतु वांछित भूमि/कमरा आवेदक(ों) द्वारा निशुल्क प्रदान किया जाएगा, जिसके लिये वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किसी किराये अथवा अधिमूल्य(प्रीमियम) का भुगतान नहीं किया जाएगा। अनुज्ञप्तिधारी ऐसे परिसर हेतु विद्युत प्रदाय की व्यवस्था केवल उसी दशा में करेगा, जब उपभोक्ता/आवेदकद्वारा इस हेतु स्थान उपलब्ध करा दिया गया हो।

3.7 वितरण अनुज्ञप्तिधारी को उसके प्रदाय क्षेत्र में एक दक्ष, समन्वित तथा मितव्ययी वितरण प्रणाली का विकास तथा संधारण करना तथा अधिनियम में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार विद्युत प्रदाय करना होगा।

3.8 वितरण अनुज्ञप्तिधारी सार्वजनिक भूमि पर सेवा तन्तुपथ (सर्विस लाईन) (शिरोपरि लाइन अथवा भूमिगत केबल जैसा कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किये गये मापदण्डों के अनुसार उपयुक्त समझा जाए) स्थापित करेगा।

3.9 बाह्य विद्युतीकरण कार्य हेतु सम्पूर्ण वितरण नेटवर्क जिसमें सेवा तन्तुपथ (सर्विस लाइन) तथा भूमि जिस पर 33/11 केवी तथा इससे अधिक क्षमता का उपकेन्द्र विकसित किया गया हो,भले ही जिसकी लागत उपभोक्ता द्वारा वहन की गई हो, समस्त प्रयोजनों के लिये वितरण अनुज्ञप्तिधारी की सम्पत्ति होगी तथा इसे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ही संधारित किया जाएगा। वितरण अनुज्ञप्तिधारी को निकासी (टेपिंग) द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को अथवा अन्यथा विद्युत की आपूर्ति किये जाने बाबत् नेटवर्क के उपयोग करने का पूर्ण अधिकार होगा सिवाय यदि इस प्रकार किया गया विद्युत प्रदाय उपभोक्ता/आवेदक जिसकें द्वारा ऐसे नेटवर्क की पूर्ण लागत वहन की गई है तथा उससे संयोजित हो, हेतु हानिकर न हो।

3.10 भूमि के अभाव में आवेदक(गण) या वितरण अनुज्ञप्तिधारी, यथास्थिति, 33/11 केवी उपकेन्द्र आधारित जीआईएस (गैस इंसुलेटेड प्रणाली) आधारित विकल्प की संभावना की खोजबीन करेगा/करेंगे।

3.11 इन विनियमों के अधीन विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों से वसूलीयोग्य प्रभारों का वर्णन निम्न अनुच्छेदों में किया गया है :

(क) निम्न दाब घरेलू उपभोक्ताओं हेतु

एक. वैयक्तिक घरेलू उपभोक्ता {उन उपभोक्ताओं को असम्मिलित करते हुए जो बहु–उपभोक्ता संकुल (कॉम्पलेक्स) अथवा आवासीय कॉलोनी में अवस्थित हैं} ।

दो. घरेलू उपभोक्ता जो सुसंबद्ध राज्य शासन के विनियमों के अधीन उपभोक्ता संकुल (कॉम्पलेक्स) अथवा नवीन आवासीय कॉलोनी में अवस्थित हैं।

(ख) अन्य निम्नदाब उपभोक्ताओं हेतु

एक. गैर–घरेलू शॉपिंग मॉल संकुल (कॉम्पलेक्स), विद्युत वाहन प्रभारण केन्द्र (ईवी चार्जिंग स्टेशन) सम्मिलित कर तथा औद्योगिक एवं अन्य निम्न दाब उपभोक्ता, जो अन्यत्र सम्मिलित नहीं हैं।

दो. जलप्रदाय संयत्र (वाटर वर्क्स)

तीन. पथ–प्रकाश (स्ट्रीट लाईट)

चार. कृषि

(ग) अति उच्चदाब (ईएचटी)/उच्चदाब (एचटी) उपभोक्ताओं की समस्त श्रेणियों हेतु

(घ) सुसंबद्ध राज्य शासन विनियमों के अधीन विकसित आवासीय कालोनियों/अभिन्यासों को विद्युत प्रदाय हेतु जिन्हें अभी तक विद्युतीकरण की लागत जमा न किये जाने के कारण विद्युतीकृत नहीं किया जा सका है

(ड़) गंदी बस्ती क्षेत्रों में विद्युत की आपूर्ति हेतु

(च) घोषित/अघोषित की गई अवैध कॉलोनियों को विद्युत की आपूर्ति हेतु

(छ) 150 अश्वशक्ति से अधिक संविदा मांग हेतु निम्नदाब संयोजनों को उच्च--दाब में परिवर्तित किये जाने हेतु

अध्याय–चार

4. उपभोक्ताओंसे वसूल किये जाने योग्य व्यय :

4.1 निम्न दाब घरेलू उपभोक्ताओं हेतु :

क. वैयक्तिक घरेलू उपभोक्ता {उन उपभोक्ताओं को असम्मिलित करते हुए जो बहु–उपभोक्ता संकुल (कॉम्पलेक्स) अथवा आवासीय कालोनियों में अवस्थित हैं}:

4.1.1 आवासीय प्रयोजन हेतु आवेदक को विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से छोर खम्भा (टर्मिनल पोल) जिसमें निम्न दाब विद्युत प्रवाहित है, यदि वह सन्निहित हो, तक विद्युत तन्तुपथ (लाइन) को स्थापित करने की लागत आवेदक/उपभोक्ता द्वारा वहन की जाएगी। 50 किलोवाट तक के अनुप्रयुक्त भार (एप्लाइड लोड) हेतु वितरण ट्रांसफार्मर तथा 0.5 किमी उच्च दाब तन्तुपथ (लाइन) विस्तार की स्थापना यदि आवश्यक हो तो वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वहन की जाने वाली लागत पर की जाएगी :

परन्तु यह कि विद्युत प्रदाय के अन्तिम बिन्दु या निकासी (टेपिंग) से 0.5 किमी से आगे की उच्च दाब तन्तुपथ (लाइन) विस्तार की लागत आवेदक द्वारा वहन की जाएगी :

परन्तु यह और कि 50 किलोवाट से अधिक के अनुप्रयुक्त भार हेतु आवेदक को स्वयं की लागत पर वितरण ट्रांसफार्मर तथा उच्च दाब तन्तुपथ (लाइन) का विस्तार किया जाना अनिवार्य होगा :

परन्तु यह और भी कि विद्यमान 50 किलोवाट से अधिक भार में वृद्धि हेतु ट्रांसफार्मर की अतिरिक्त क्षमता निर्मित की जाएगी तथा इसकी लागत आवेदक द्वारा वहन की जाएगी।

उपभोक्ताओं/आवेदकों को वांछित उच्च दाब तन्तुपथ (एचटी लाइन) को स्वयं द्वारा या फिर एक अनुज्ञप्तिप्राप्त (लायसेंसधारी) ठेकेदार के माध्यम से अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रचलित दर–अनुसूची के अनुसार प्राक्कलित अनुमानित लागत के 5 प्रतिशत पर्यवेक्षण प्रभारों के भुगतान द्वारा संस्थापित किये जाने का विकल्प होगा।

4.1.2 उपभोक्ता/आवेदक द्वारा उसे सेवा तन्तुपथ (सर्विस लाइन) उपलब्ध कराने हेतु किये गये व्यय वहन करने होंगे। उपभोक्ताओं/आवेदकों को वांछित सेवा तन्तुपथ (सर्विस लाइन) को स्वयं द्वारा या फिर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रचलित दर–अनुसूची के अनुसार प्राक्कलित अनुमानित लागत के 5 प्रतिशत पर्यवेक्षण प्रभारों के भुगतान द्वारा संस्थापित किये जाने का विकल्प होगा। वैकल्पिक तौर पर कार्य का निष्पादन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भी कराया जा सकता है जिसके लिये उपभोक्ता/आवेदक द्वारा प्रयोज्य प्रभारों का अग्रिम भुगतान करना होगा। उपभोक्ताओं/आवेदकों के त्वरित संदर्भ हेतु

अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपनी वेबसाइट पर अनुज्ञप्तिप्राप्त (लाइसेंसधारी) ठेकेदारों की सूची प्रदर्शित की जाएगी।

4.1.3 अनुज्ञप्तिधारी अपनी स्वेच्छानुसार सेवा तन्तुपथ (सर्विस लाइन), अर्थात संयोजन प्रदानकरने हेतु, संवाहक (कण्डक्टर)/केबल/भूमिगत केबल का प्रकार विनिर्दिष्ट करेगा। सामान्यतः, इस प्रकार के सेवा–तन्तुपथ (सर्विस लाइन) की लम्बाई 30 मीटर से अधिक न होगी, तथापि, अनुज्ञप्तिधारी अपनी स्वेच्छानुसार ऐसे घरेलू संयोजनों हेतु 45 मीटर तक की अनुमति प्रदान करसकेगा बशर्ते यह कि उपभोक्ता/आवेदक ऐसे सेवा तन्तुपथ में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विनिर्दिष्ट उच्चतर व्यास का सेवा तन्तुपथ उपयोग करने की सहमति प्रदान करे।

4.1.4 वितरण अनुज्ञप्तिधारी को किसी वैयक्तिक घरेलू उपभोक्ता से (केवल उन्हें छोड़कर जो बहु–उपभोक्ता संकुल (कॉम्पलेक्स) या आवासीय कॉलोनी में अवस्थित हैं) निम्नांकित प्रभारों की वसूली की पात्रता निम्न दाब लाइन की लागत, वितरण ट्रांसफार्मर तथा उच्च दाब लाइन की लागत जैसा कि इसे उपरोक्त विनियमों 4.1.1, 4.1.2 तथा 4.1.3 में विनिर्दिष्ट किया गया है, के अतिरिक्त विद्युत प्रभारों के रूप में वसूल करने की पात्रता होगी :

सरल क्रमांक	प्राक्कलित संयोजित भार	सेवा तन्तुपथ (सर्विस लाइन) की लागत पर विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभार, पर्यवेक्षण प्रभारों को सम्मिलित करते हुए
एक.	गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के उपभोक्ता जिनके प्राक्कलित भार 500 वॉट तक के हैं।	रू. 10/–
दो.	3 किलोवॉट (एकल फेज) तक के समस्त उपभोक्ता, उपरोक्त (1) में दर्शाये गये उपभोक्ताओं को असम्मिलित कर	रू. 340/– प्रति किलोवाट अथवा उसका कोई अंश
तीन.	3 किलोवॉट (तीनफेज)से अधिक परन्तु 10 किलोवॉट से अनाधिक	रू. 1000/–+ रू. 1000/–प्रति अतिरिक्त किलोवाट अथवा उसके किसी अंश हेतु जिसके अनुसार भार तीन किलोवाट से अधिक हों
चार.	10 किलोवॉट से अधिक परन्तु 25 किलोवॉट से अनाधिक	रू. 8080+ रु. 2520 प्रति अतिरिक्त किलोवाट अथवा उसका कोई अंश जिसके अनुसार भार 10 किलोवाट से अधिक हो
पांच.	25 किलोवॉट से अधिक परन्तु 50 किलोवॉट से अनाधिक	रू. 46,000/– + रु. 4,200/– प्रति अतिरिक्त किलोवाट अथवा उसका कोई अंश जिसके अनुसार भार 25 किलोवाट से अधिक हो

परन्तु यह कि 50 किलोवाट से अधिक के अनुप्रयुक्त प्राक्कलित संयोजित भार हेतु जहां अधोसंरचना आवेदक द्वारा विकसित किया जाना प्रत्याशित है, आवेदक को उपरोक्त निर्दिष्ट प्रभारों पर 10 प्रतिशत की दर से विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभारों (सप्लाई अफोर्डिंग चार्जेस) का भुगतान करना होगा।

ख. ऐसे घरेलू उपभोक्ता जो बहु–उपभोक्ता संकुल (मल्टीयूजर कॉम्पलेक्स) अथवा सुसंगत राज्य शासन विनियमों के अधीन नवीन विकसित आवासीय कॉलोनियों में अवस्थित हों :

4.1.5 राज्य शासन के विनियमों, यथा "मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973" के अर्न्तगत विकसित एक कॉलोनी में आवासीय/घरेलू उपयोग हेतु अथवा "मध्यप्रदेश प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम, 2000" के अर्न्तगत परिभाषित भवन की विद्युत आपूर्ति व्यवस्था हेतु, वितरण अनुज्ञप्तिधारी कॉलोनी के अनुमोदित अभिन्यास (ले–आऊट) के अन्तर्गत भूखण्ड/अपार्टमेंटों की संख्या तथा आकार अथवा अपार्टमेंट/कॉम्पलेक्स के अनुमोदित भवन नक्शे के अनुसार समय–समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 के उपबन्धों के अनुसार, यथास्थिति संयोजित भार का प्राक्कलन करेगा।

4.1.6 ऐसी कॉलोनियों तथा भवनों की विद्युत आपूर्ति व्यवस्था हेतु वांछित विस्तार कार्य की लागत में निम्न सम्मिलित होंगे :

(क) यदि प्राक्कलित भार 10,000 केवीए से अधिक हो – अति उच्च दाब तन्तुपथ (लाइन), अति उच्च दाब उपकेन्द्र, 33 केवी तन्तुपथ (लाइन) तथा 33/11 केवी उपकेन्द्र, 11 केवी तन्तुपथ, ट्रांसफार्मर उपकेन्द्र तथा निम्न दाब (एलटी) तन्तुपथों (लाइनों)/केबलों मय मापन (मीटरिंग) के साझे बिन्दु तक संबद्ध उपकरणों {बहु–उपभोक्ता संकुल (मल्टीयूजर कॉम्पलेक्स) के प्रकरण में} और/या वैयक्तिक उपभोक्ता हेतु (कॉलोनियों के प्रकरण में) निम्न दाब (एलटी) वितरण प्रसंवाहियों के छोर (टर्मिनल) बिन्दु तक हेतु को यथास्थिति आवेदक(ों) द्वारा वहन किया जाएगा।

(ख) यदि प्राक्कलित भार 10,000 केवीए तक, परन्तु 2000 केवीए से अधिक हो– 33 केवी तन्तुपथ (लाइन) तथा 33/11 केवी उपकेन्द्र, 11 केवी तन्तुपथ (लाइन), वितरण ट्रांसफार्मर उपकेन्द्र तथा निम्न दाब (एलटी) तन्तुपथों (लाइनों)/केबलों मय मापन (मीटरिंग) के साझे बिन्दु तक संबद्ध उपकरणों {बहु–उपभोक्ता संकुल (मल्टीयूजर कॉम्पलेक्स) के प्रकरण में} और/या वैयक्तिक उपभोक्ता हेतु (कॉलोनियों के प्रकरण में) को यथास्थिति आवेदक(ों) द्वारा वहन किया जाएगा।

(ग) यदि प्राक्कलित भार 1500 केवीए से अधिक तथा 2000 केवीए तक हो–विद्यमान 33/11 केवी उपकेन्द्र, 11 केवी तन्तुपथ (लाइन) वितरण ट्रांसफार्मर उपकेन्द्र, निम्न दाब (एलटी) तन्तुपथों (लाइनों)/केबलों मय मापन (मीटरिंग) के साझे बिन्दु तक संबद्ध उपकरणों {बहु–उपभोक्ता

संकुल (मल्टीयूजर कॉम्पलेक्स) के प्रकरण में) और/या वैयक्तिक उपभोक्ता हेतु (कॉलोनियों के प्रकरण में) अतिरिक्त विद्युत ट्रांसफार्मर/पर्याप्त क्षमता के ट्रांसफार्मर के आवर्धन की लागत को, यथास्थिति, आवेदक(ों) द्वारा वहन किया जाएगा।

(घ) यदि प्राक्कलित भार 1500 केवीए तक हो– 11 केवी तन्तुपथ (लाइन), वितरण ट्रांसफार्मर उपकेन्द्र, तथा निम्न दाब (एलटी) तन्तुपथों (लाइन) /केबलों मय मापन (मीटरिंग) के साझे बिन्दु तक संबद्ध उपकरणों (बहु–उपभोक्ता संकुल (मल्टीयूजर कॉम्पलेक्स) के प्रकरण में) और/या वैयक्तिक उपभोक्ता हेतु (कॉलोनियों के प्रकरण में) को यथास्थिति आवेदक(ों) द्वारा वहन किया जाएगा। इस प्रकरण में आवेदक(ों) से 33 केवी तन्तुपथ, 33/11 केवी उपकेन्द्र का निर्माण कार्य किया जाना अपेक्षित न होगा। तथापि, ऐसे आवेदकों को विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभारों का भुगतान रू. 850 प्रति केवीए की दर से करना होगा।

4.1.7 उपरोक्त के अतिरिक्त, आवेदक(ों) द्वारा अधोसंरचना के विकास पश्चात् जैसा कि इसका उल्लेख विनियम 4.1.6 में किया गया है, वैयक्तिक उपभोक्ता को संयोजन हेतु आवेदन के समय वितरण अनुज्ञप्तिधारी को विनियम 4.1.4 में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार उक्त श्रेणी हेतु प्रयोज्य विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभारों (सप्लाई अफोर्डिंग चार्जेस) की 10 प्रतिशत की दर से भुगतान करना होगा :

परन्तु यह कि यदि कोई वैयक्तिक आवेदक 50 किलोवाट भार से अधिक के प्राक्कलित संयोजित भार हेतु आवेदन प्रस्तुत करता है तो आवेदक को इस हेतु वितरण ट्रांसफार्मर तथा उच्च दाब तन्तुपथ (लाइन) के विस्तार हेतु लागत को वहन करना होगा।

4.1.8 1500 केवीए से अधिक के संयुक्त प्राक्कलित संयोजित भार से युक्त नवीन/विद्यमान कॉलोनियों के समूह जो दो वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के भीतर अवस्थित हैं, परस्पर सहमति तथा समझौते (करार) के आधार पर कालोनियों के ऐसे समूह के अग्रणी (लीडर) के परिसर में जिसके नाम का उल्लेख आवेदकों के समूह द्वारा संयुक्त आवेदन में भी किया जाएगा, संयुक्त रूप से 33/11 केवी या इससे अधिक वोल्टेज का उपकेन्द्र स्थापित कर सकेंगे। ऐसे तन्तुपथ (लाइनें) तथा उपकेन्द्र की लागत समूह (कलस्टर) की वैयक्तिक कॉलोनी के रहवासियों द्वारा उनके वैयक्तिक संयोजित भारों के अनुपात में वहन की जाएगी। ऐसे प्रकरणों मेंविनियम 4.1.6(घ) में उपबंधित किये गये अनुसार रू 850 प्रति केवीए की दर से विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभार देय न होंगे।

4.1.9 आवेदक(ों) को या तो वांछित अधोसंरचना {जिसका अभिप्राय उच्च दाब/अति उच्च दाब तन्तुपथों (लाइनों), पावर/वितरण ट्रांसफार्मर उपकेन्द्र तथा छोर खंभे (टर्मिनल पोल) तक निम्न दाब तन्तुपथों मय संबंद्ध उपकरणों से है} को स्वयं द्वारा एक अनुज्ञप्तिप्राप्त ठेकेदार से, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार, अनुज्ञप्तिधारी को अनुमानित लागत के 7 प्रतिशत पर्यवेक्षण प्रभारों के

भुगतान द्वारा या फिर वितरण अनुज्ञप्तिधारी के माध्यम से आवेदक(ों) की लागत पर स्थापित किये जाने का विकल्प होगा। आवेदकों/उपभोक्ताओं के त्वरित संदर्भ हेतु अनुज्ञप्तिधारी ठेकेदारों की सूची अपनी वेबसाईट पर प्रदर्शित की जाएगी। आवेदक(ों) द्वारा सेवा तन्तुपथ (सर्विस लाइन) जो उसके द्वारा अनुज्ञप्तिधारी के मापदण्डों के अनुसार स्थापित की जाएगी,का व्यय भी वहन किया जाएगा।

4.1.10 यदि आवेदक आंशिक विद्युतीकरण हेतु अनुरोध प्रस्तुत करता हो तो इसे अनुमति प्रदान की जा सकेगी। ऐसा इस शर्त पर किया जाएगा जब विकासक किसी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से बैंक गारंटी (जिसकी वैधता 5 वर्षों के लिये होगी) प्रस्तुत करता हो जिसकी राशि अतिशेष कार्यों की अनुमानित लागत की 150 प्रतिशत राशि के बराबर होगी तथा एक अनुबन्ध निष्पादित करता हो जिसमें अवशेष क्षेत्र के चरणबद्ध विद्युतीकरण कार्य को पूर्ण करने हेतु स्पष्ट रूप से समय–सीमा निर्धारित की जाएगी। बैंक गारंटी की राशि शेष विद्युतीकरण कार्यों के पूर्ण होने के साथ निरन्तर कम होती चली जाएगी। अनुज्ञप्तिधारी की तुष्टि के अनुरूप बैंक गारंटी की प्रस्तुति पश्चात् अनुज्ञप्तिधारी का यह दायित्व होगा कि वह समय–समय पर यथासंशोधित प्रयोज्य मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 में निर्दिष्ट की गई समय–सीमाओं के अनुसार कॉलोनी/संकुल (कॉम्पलेक्स) के रहवासियों/अधिभोक्ताओं के संयोजन (कनेक्शन) जारी करे :

परन्तु यह कि यदि आवेदक अवशेष क्षेत्र हेतु विद्युतीकरण कार्यों को पूर्ण करने में अक्षम रहता हो तो अनुज्ञप्तिधारी बैंक गारंटी अपवर्तित (फोरफीट) कर सकेगा :

परन्तु यह और कि आंशिक विद्युतीकरण के प्रकरण में विकासक कॉलोनी/संकुल (कॉम्पलेक्स) के परिसर के प्रवेशद्वार पर विद्युतीकरण की चरणबद्ध अद्यतन स्थिति प्रदर्शित किया जाना सुनिश्चित करे तथा ऐसा प्रदर्श विद्यमान/भावी रहवासियों को सदैव दृष्टिगोचर होता रहे।

4.1.11 ऐसे प्रकरणों में जहां किसी आवेदक हेतु विद्युत प्रदाय विस्तार कार्य के निष्पादन में मार्ग–अधिकार (राईट ऑफ वे)/प्रणाली संबंधी बाध्यताएं (सिस्टम कान्स्ट्रेंट्स) जैसी समस्याओं के कारण बाधा उत्पन्न हो रही हो तथा ऐसे आवेदक(ों) को संयुक्त रूप से लागू होती हो वहां अनुज्ञप्तिधारी विद्युत प्रदाय के विस्तार हेतु नवीन प्रौद्योगिकियों/प्रणाली उन्नयन के क्रियान्वयन द्वारा समस्या का समाधान कर सकेगा। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ऐसी प्रौद्योगिकियों के सफलतापूर्वक अपनाये जाने पर किये गये व्यय की वसूली आवेदक से या आवदेकों से यदि उनकी संख्या एक से अधिक है, संयुक्त रूप से तथा भावी आवेदकों से भी प्रति किलोवाट (मांग किये गये प्राक्कलित संयोजित भार के अनुसार) आधार पर कर सकेगा।

4.2 अन्य निम्न दाब उपभोक्ताओं हेतु :

क. गैर–घरेलू (शापिंग मॉल/संकुल (कॉम्पलेक्स) को सम्मिलित करते हुए), विद्युत वाहन प्रभारण केन्द्र (चार्जिंग स्टेशन), औद्योगिक दूरसंचार (टेलीकॉम) टॉवर तथा अन्य निम्न दाब उपभोक्ता जो अन्यत्र सम्मिलित नहीं किये गये हैं :

4.2.1 किसी गैर–घरेलू उपभोक्ता अथवा औद्योगिक उपभोक्ता अथवा विद्युत वाहन प्रभारण केन्द्र या फिर अन्य निम्न दाब उपभोक्ता जिन्हें अन्यत्र सम्मिलित नहीं किया गया है, को विद्युत प्रदाय किये जाने हेतु प्राक्कलित संयोजित भार वह लिया जाएगा जैसाकि इसे वैयक्तिक उपभोक्ता द्वारा घोषित किया गया हो। तथापि, किसी बहु–उपभोक्ता संकुल (कॉम्पलेक्स) में गैर–घरेलू उपभोक्ता(ओं) को,शांपिग मॉल सम्मिलित कर, विद्युत प्रदाय किये जाने हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी भार का प्राक्कलन अपार्टमेंट/संकुल (कॉम्पलेक्स) के भवन नक्शे के अनुमोदित अभिन्यास के आधार पर भूखण्ड (प्लॉट) अथवा अपार्टमेंट के आकार के आधार पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 के प्रावधान के अनुसार करेगा।

4.2.2 उपरोक्त आधार पर प्राक्कलित संयोजित भार या ऐसे संकुल (कॉम्पलेक्सों) में आवेदक(ों) द्वारा घोषित भार का योग, इनमें से जो भी अधिक हो, को अपार्टमेंट/संकुल (कॉम्पलेक्स) को विद्युत प्रदाय हेतु प्रभारों की वसूली हेतु माना जाएगा।

4.2.3 किसी वैयक्तिक गैर–घरेलू अथवा औद्योगिक उपभोक्ता अथवा विद्युत वाहन प्रभारण केन्द्र या दूरसंचार (टेलीफोन) टॉवर या फिर अन्य निम्न दाब उपभोक्ता जिन्हें अन्यत्र सम्मिलित नहीं किया गया है, को विद्युत प्रदाय हेतु उपभोक्ता के वितरण प्रसंवाही हेतु वांछित निम्न दाब तन्तुपथ (लाइनों) को उपभोक्ता की लागत पर स्थापित किया जाएगा।

4.2.4 (i) 50 किलोवाट तक के अनुप्रयुक्त (applied) संयोजित भार हेतु वितरण ट्रांसफार्मर तथा 0.5 किलो मीटर तक के 11 केवी तन्तुपथ विस्तार (लाइन एक्सटेंशन) हेतु, यदि आवश्यक हो तो इसका निष्पादन वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्वयं की लागत पर किया जाएगा :

परन्तु यह कि आपूर्ति के अन्तिम बिन्दु या निकासी (टेपिंग) बिन्दु से 0.5 किलो मीटर के परे उच्च दाब तन्तुपथ विस्तार लागत विद्युत वाहन प्रभारण केन्द्रों (चार्जिंग स्टेशनों) को छोड़कर, आवेदक द्वारा वहन की जाएगी। तथापि, जहां वैयक्तिक आवेदक(गण) जो 5 किलोवाट से अधिक का भार धारित करते हों, विद्युत आपूर्ति के अन्तिम बिन्दु/निकासी बिन्दु से 0.5 किलोमीटर के परे उच्च दाब तन्तुपथ (लाइन) विस्तार के इच्छुक हों, वहां वितरण ट्रांसफॉर्मर की लागतें को, केवल विद्युत वाहन प्रभारण केन्द्रों को छोड़कर आवेदक(ों) द्वारा वहन कियी जाएगा।

(ii) 50 किलोवाट से अधिक अनुप्रयुक्त (applied) भार हेतु वितरण ट्रांसफार्मर की लागत को केवल विद्युत वाहन प्रभारण केन्द्रों को छोड़कर आवेदक(ों) द्वारा वहन किया जाएगा। तथापि 0.5 किलोमीटर तक के 11 केवी तन्तुपथ (लाइन) विस्तार कार्य का निष्पादन वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपनी स्वयं की लागत पर किया जाएगा तथा विद्युत प्रदाय के अन्तिम बिन्दु अथवा निकासी बिन्दु से 0.5 किमी से अधिक उच्च दाब तन्तुपथ (लाइन) के विस्तार कार्य की लागत को आवेदक द्वारा वहन किया जाएगा :

परन्तु यह और कि विद्युत वाहन प्रभारण केन्द्रों हेतु 50 किलोवाट से परे विद्यमान संयोजित भार में वृद्धि के लिये ट्रांसफार्मर की अतिरिक्त क्षमता कानिर्माण किया जाएगा तथा इसकी लागत आवेदक(ों) द्वारा वहन की जाएगी ।

उपभोक्ताओं/आवेदकों के लिए यह विकल्प होगा कि वे वांछित उच्च दाब तन्तुपथ विस्तार की स्थापना का कार्य स्वयं अनुज्ञप्तिप्राप्त ठेकेदार के माध्यम से अनुज्ञप्तिधारी की विशिष्टियों (स्पेसीफिकेशन्स) के अनुसार प्रचलित दर अनुसूची (करंट शेड्यूल आफ रेट्स) के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राक्कलित कार्य की लागत के 5 प्रतिशत की दर से पर्यवेक्षण प्रभारों के भुगतान द्वारा सम्पन्न करें।

4.2.5 उपभोक्ता/आवेदक को सेवा तन्तुपथ (सर्विस लाइन) प्रदाय हेतु किये गये व्यय स्वयं वहन करने होंगे। उपभोक्ताओं/आवेदकों को वांछित सेवा तन्तुपथ (सर्विस लाइन) को स्वयं द्वारा या फिर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रचलित दर–अनुसूची के अनुसार प्राक्कलित अनुमानित लागत के 5 प्रतिशत पर्यवेक्षण प्रभारों के भुगतान द्वारा स्थापित किये जाने का विकल्प होगा। वैकल्पिक तौर पर, कार्य का निष्पादन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्वयं भी कराया जा सकता है जिसके लिये उपभोक्ता/आवेदक को प्रयोज्य प्रभारों का अग्रिम भुगतान करना होगा। उपभोक्ताओं/आवेदकों के त्वरित संदर्भ हेतु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपनी वेबसाइट पर अनुज्ञप्तिप्राप्त (लाइसेंसधारी) ठेकेदारों की सूची प्रदर्शित की जाएगी।

4.2.6 वितरण अनुज्ञप्तिधारी वैयक्तिक गैर–घरेलू, औद्योगिक उपभोक्ता,विद्युत वाहन प्रभारण केन्द्रों तथा अन्य निम्न दाब उपभोक्ता जिन्हें अन्यत्र सम्मिलित नहीं किया गया है, से विनियम 4. 2.3, 4.2.4 तथा 4.2.5 में विनिर्दिष्ट प्रयोज्य प्रभारों तथा अधोसंरचना लागत के अतिरिक्त विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभारों के रूप में निम्न प्रभारों की वसूली हेतु प्राधिकृत होगा :

सरल क्रमांक	मांग किया गया संयोजित भार	उपभोक्ताओं से वसूली योग्य विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभार, सेवा तन्तुपथ की लागत पर पर्यवेक्षण प्रभारों को सम्मिलित कर
एक.	3 किलोवॉट (एकल फेज) तक	रू. 500 प्रति किलोवाट अथवा उसका कोई अंश
दो.	3 किलोवॉट (तीनफेज)से अधिक परन्तु 10 किलोवॉट से अनाधिक	रू. 1510+ रू. 1510 प्रति अतिरिक्त किलोवाट अथवा उसका कोई अंश जिसके अनुसार भार तीन किलोवाट से अधिक हो
तीन.	10 किलोवॉट से अधिक परन्तु 25 किलोवॉट से अनाधिक	रू. 12110+ रु. 3790 प्रति अतिरिक्त किलोवाट अथवा उसका कोई अंश जिसके अनुसार भार 10 किलोवाट से अधिक हो
चार.	25 किलोवॉट से अधिक परन्तु 100 किलोवाट से अनाधिक	रू. 69000+ रु. 6300 प्रति अतिरिक्त किलोवाट अथवा उसका कोई अंश जिसके अनुसार भार 25 किलोवाट से अधिक हो
पांच.	100 किलोवॉट से अधिक	रू. 6900+ रु. 630 प्रति अतिरिक्त किलोवाट अथवा उसका कोई अंश जिसके अनुसार भार 100 किलोवाट से अधिक हो (अधोसरंचना के अतिरिक्त लागत आवेदक द्वारा वहन की जाएगी)

4.2.7 गैर–घरेलू बहु–उपभोक्ता संकुल (कॉम्पलेक्स)/शॉपिग मॉल को विद्युत प्रदाय हेतु, आवेदक(ों) को वितरण ट्रांसफार्मर उपकेन्द्र(ों) तक प्रवेशी उच्च दाब तन्तुपथ तथा उपभोक्ता के वितरण प्रसंवाही (डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स) तक निम्न दाब तन्तुपथों (लाइनों) /केबलों की लागत वहन करनी होगी।

4.2.8 उपभोक्ता/आवेदक को या तो अपने स्वयं की वांछित अधोसंरचना उसके स्वयं द्वारा अनुज्ञप्तिधारी के मानदण्डों के अनुसार एक अनुज्ञप्तिप्राप्त ठेकेदार के माध्यम से अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रचलित दर अनुसूची के अनुसार प्राक्कलित कार्य की लागत की 7 प्रतिशत दर पर पर्यवेक्षण प्रभारों के भुगतान द्वारा निर्माण करने या फिर अनुज्ञप्तिधारी के माध्यम से प्रयोज्य प्रभारों के भुगतान उपरान्त कार्य निष्पादन का विकल्प होगा। उपभोक्ताओं/आवेदकों के त्वरित संदर्भ हेतु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपनी वेबसाइट पर अनुज्ञप्तिप्राप्त (लाइसेंसधारी) ठेकेदारों की सूची प्रदर्शित की जाएगी :

परन्तु यह कि विद्युत वाहन प्रभारण केन्द्रों के प्रकरण में यदि उपभोक्ता/आवेदक वांछित अधोसंरचना स्वयं द्वारा अनुज्ञप्तिप्राप्त (लाइसेंसधारी) ठेकेदार के माध्यम से अनुज्ञप्तिधारी की विशिष्टियों के अनुसार सृजन करने का निर्णय लेता है तो उपभोक्ता/आवेदक को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रचलित दर अनुसूची के अनुसार प्राक्कलित कार्य की लागत के 5 प्रतिशत की दर से पर्यवेक्षण प्रभारों का भुगतान करना होगा।

4.2.9 वितरण अनुज्ञप्तिधारी गैर–घरेलू (बहु–उपभोक्ता संकुल (कॉम्पलेक्स)/शॉपिंग मॉल) उपभोक्ताओं से उपरोक्त विनियम 4.2.7 तथा 4.2.8 में उल्लेखित प्रयोज्य प्रभारों तथा अधोसंरचना लागत के अतिरिक्त विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभारों (सप्लाई अफोर्डिंग चार्जेस) के रूप में निम्न प्रभारों की वसूली हेतु भी प्राधिकृत होगा :

सरल क्रमांक	मांग किया गया संयोजित भार	उपभोक्ताओं से वसूली योग्य विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभार, सेवा तन्तुपथ की लागत पर पर्यवेक्षण प्रभारों को सम्मिलित कर
एक.	3 किलोवॉट (एकल फेज) तक	रू. 50 प्रति किलोवाट अथवा उसका कोई अंश
दो.	3 किलोवॉट (तीनफेज) से अधिक परन्तु 10 किलोवॉट से अनाधिक	रू. 150 + रू. 150 प्रति अतिरिक्त किलोवाट अथवा उसका कोई अंश जिसके अनुसार भार तीन किलोवाट से अधिक हो
तीन.	10 किलोवॉट से अधिक परन्तु 25 किलोवॉट से अनाधिक	रू. 1200+ रु. 380 प्रति अतिरिक्त किलोवाट अथवा उसका कोई अंश जिसके अनुसार भार 10 किलोवाट सेअधिक हो
चार.	25 किलोवॉट से अधिक	रू. 6900 प्रति किलोवाट + रु. 630 प्रति अतिरिक्त किलोवाट अथवा उसका कोई अंश जिसके अनुसार भार 25 किलोवाट सेअधिक हो

ख. <u>निम्न–दाब जलप्रदाय संयन्त्र (वाटर वर्क्स)</u> :

4.2.10 वितरण अनुज्ञप्तिधारी जल प्रदाय संयंत्र हेतु विद्युत प्रदाय संबंधी कार्य, जिनमें 11 केवी/निम्न दाब तन्तुपथ (लाइन) तथा वितरण ट्रांसफार्मर उपकेन्द्र सम्मिलित होंगे, हेतु प्रचलित दर–अनुसूची (शेड्यूल आफ रेट्स) के अनुसार प्राक्कलन तैयार करेगा। वितरण अनुज्ञप्तिधारी कार्य का निष्पादन आवेदक के अनुरोध पर उसके द्वारा 11 केवी लाइन, वितरण ट्रांसफार्मर उपकेन्द्र तथा वितरण प्रसंवाही (डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स) तृक निम्न दाब

तन्तुपथ (लाइनों) की लागत राशि जमा किये जाने पर कर सकेगा या फिर वह आवेदक को कार्य के निष्पादन हेतु किसी अन्य अनुमोदित अनुज्ञप्तिप्राप्त ठेकेदार के माध्यम से कराये जाने हेतु अनुमति प्रदान कर सकेगा, जिस हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी प्रचलित दर अनुसूची पर आधारित प्राक्कलन लागत की 5 प्रतिशत दर पर पर्यवेक्षण प्रभारों की वसूली हेतु प्राधिकृत होगा। उपभोक्ताओं/आवेदकों के त्वरित संदर्भ हेतु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपनी वेबसाइट पर अनुज्ञप्तिप्राप्त (लाइसेंसधारी) ठेकेदारों की सूची प्रदर्शित की जाएगी। उपभोक्ता/आवेदक सेवा तन्तुपथ (सर्विस लाइन) संबंधी व्ययों को वहन करेगा जिसे वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सेवा तन्तुपथ की लागत की सम्पूर्ण वसूली उपरांत ही उसे स्थापित तथा क्रियाशील किया जाएगा।

4.2.11 उपरोक्त के अतिरिक्त, वितरण अनुज्ञप्तिधारी विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभारों (सप्लाई अफोर्डिंग चार्जेस) की वसूली रू 350 प्रति किलोवॉट अथवा उसके किसी अंश की दर से ग्राम पंचायतों तथा रूपये 600 प्रति किलोवाट अथवा उसके किसी अंश की दर से अन्य प्रकरणों में करेगा।

ग. <u>पथ–प्रकाश व्यवस्था (स्ट्रीट लाइट्स)</u> :

4.2.12 सार्वजनिक स्थलों पर तथा विकास प्राधिकरणों/गृह निर्माण मण्डलों/न्यासों/मण्डलों (बोर्ड)/नगरपालिक निगमों/नगरपालिकायों/नगर परिषदों/ग्राम पंचायतों तथाऐसे अन्य प्राधिकरणों/निकायों के स्वामित्व वाले अधिसूचित क्षेत्रों में, पथ प्रकाश (नवीन अथवा अतिरिक्त सार्वजनिक बत्तियों (लैम्पों) हेतु विद्युत प्रदाय की व्यवस्था अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रचलित दर–अनुसूची (करंट शेड्यूल ऑफ रेट्स) के अनुसार तैयार किये गये प्राक्कलनों की लागत की वसूली उपरान्त ही की जाएगी। वैकल्पिक तौर पर, आवेदक एक अनुमोदित अनुज्ञप्ति–प्राप्त ठेकेदार/एजेन्सी के माध्यमसे भीकार्य निष्पादन कर सकेगा तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी को कार्य की प्राक्कलित लागत के 5 प्रतिशत की दर से पर्यवेक्षण प्रभारों के रूप में भुगतान करेगा। उपभोक्ताओं/आवेदकों के त्वरित संदर्भ हेतु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपनी वेबसाइट पर अनुज्ञप्तिप्राप्त (लाइसेंसधारी) ठेकेदारों की सूची प्रदर्शित की जाएगी।

4.2.13 उपरोक्त के अतिरिक्त, वितरण अनुज्ञप्तिधारी विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभारों (सप्लाई अफोर्डिंग चार्जेस) की वसूली रू 340 प्रति किलोवॉट, अथवा उसके किसी अंश की दर से ग्राम पंचायत के प्रकरण में तथा रूपये 590 प्रति किलोवाट अथवा उसके किसी अंश की दर से अन्य प्रकरणों में करेगा।

घ. कृषि

4.2.14 कृषकों के सिंचाई पंप सेट्स हेतु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत प्रदाय व्यवस्था, प्राप्त मांग–पत्र पर दक्ष वितरण प्रणाली के संचालन हेतु निम्न दाब तन्तुपथ प्रदान किये जाने संबंधी लागत में वितरण ट्रांसफर्मर उपकेन्द्र तथा सेवा तन्तुपथ (सर्विस लाइन) की लागत को जोड़कर उनकी वसूली उपरांत की जाएगी। वैकल्पिक तौर पर, आवेदक यदि इच्छुक हो तो उसे कार्य की प्राक्कलित लागत के तीन प्रतिशत की दर से पर्यवेक्षण प्रभारों के रूप में भुगतान करने हेतु अनुमति प्रदान की जाएगी, तथा ऐसे पर्यवेक्षण प्रभारों के भुगतान करने पर, आवेदक 'ए' श्रेणी के विद्युत ठेकेदार के माध्यम से वितरण अनुज्ञप्तिधारी के पर्यवेक्षण

में कार्य निष्पादन करा सकेगा। उपभोक्ताओं/आवेदकों के त्वरित संदर्भ हेतु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपनी वेबसाइट पर अनुज्ञप्ति प्राप्त ठेकेदारों की सूची संलग्न की जाएगी।

4.3 अतिरिक्त उच्च–दाब/उच्च दाब उपभोक्ताओं की समस्त श्रेणियों हेतु :

4.3.1 वैयक्तिक अति उच्च दाब (ईएचटी)/उच्च दाब (एचटी) उपभोक्ताओं हेतुयदि किसी उपकेन्द्र में नवीन बे, उपकेन्द्र से उच्च दाब तन्तुपथ (लाइन) (33 केवी अथवा इससे कम के उपभोक्ताओं/आवेदकों हेतु) अथवा अति उच्च दाब तन्तुपथ (33 केवी से अधिक के उपभोक्ताओं/आवेदकों हेतु), अथवा विद्यमान अति उच्च दाब/उच्च दाब तन्तुपथ के विस्तार हेतु अथवा आवेदक के मापन (मीटरिंग) के बिन्दु तक विद्युत प्रदाय के विस्तार हेतु तन्तुपथ का सुदृढ़ीकरण कार्य कराया जाना आवश्यक हो तो वितरण अनुज्ञप्तिधारी उच्चदाब {33 केवी तन्तुपथ (लाइन) तथा इससे कम हेतु} तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी अति उच्च दाब {132 केवी तन्तुपथ (लाइन) अथवा इससे अधिक हेतु} के प्रकरण में पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के समन्वयन से प्रचलित दर–अनुसूची (करंट शेड्यूल आफ रेट्स) के उपरोक्त कार्यों हेतु एक प्राक्कलन तैयार करेगा तथा इसे आवेदक को वितरण अनुज्ञप्तिधारी को भुगतान की व्यवस्था हेतु उपलब्ध करायेगा। इस प्रकार संग्रहीत की गई राशि को अति उच्च दाब के प्रकरण में {132 केवी तन्तुपथ (लाइन) तथा इससे अधिक हेतु}तत्पश्चात पारेषण कंपनी को कार्य के निष्पादन हेतु अंतरित कर दिया जाएगा।

4.3.2 प्रस्तावित औद्योगिक पार्क अथवा औद्योगिक क्षेत्र अथवा औद्योगिक विकास केन्द्र हेतु विद्युत आपर्ति के विस्तार हेतु आवेदकों द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी को अत्यावश्यक अधेसंरचना जैसे कि अति उच्च वोल्टेज उपकेन्द्र, अति उच्च वोल्टेज तन्तुपथ (लाइनों); 33/11 उपकेन्द्र, 33 केवी तन्तुपथ (लाइन), 11केवी तन्तुपथों (लाइनों), वितरण ट्रांसफार्मर तथा संबद्ध तन्तुपथों (लाइनों) की लागत का भुगतान करना होगा। आवेदक(ों) द्वारा अत्यावश्यक अधोसंरचना का आकलन मांग किये गये भार हेतु किया जाएगा जिसमें निम्न को सम्मिलित किया जाएगा, जो मात्र निम्न तक ही सीमित न होगा:

(क) यदि मांग किया गया प्राक्कलित संयोजित भार 4 एमवीए तक है :– 5 एमवीए–33/11 केवी उपकेन्द्र मय संबद्ध उच्च दाब लाइनें, 33 केवी बे को सम्मिलित करते हुए मय अति उच्च वोल्ट उपकेन्द्र पर स्विचगियर के, 11/0.4 केवी उपकेन्द्र तथा मांग किये गये भार के अनुसार संबद्ध सेवा लाइनें :

परन्तु यह कि नवीन/विद्यमान आवेदक(गण) जो 4 एमवीए तक के संयुक्त संयोजित भार से युक्त हैं तथा जो 2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के भीतर अवस्थित हों, परस्पर सहमति तथा अनुबन्ध/करार के आधार पर संयुक्त रूप से 5 एमवीए–33/11 केवी उपकेन्द्र, आवेदक(ों) के ऐसे समूह के अगुआ (लीडर) जिसके नाम का उल्लेख आवेदक(ों) द्वारा दाखिल किये गये संयुक्त आवेदन में किया जाएगा, के परिसर में स्थापित कर सकेंगे।

(ख) यदि मांग किया गया प्राक्कलित संयोजित भार 4 एमवीए से अधिक तथा 10 एमवीए तक है : 33/11 केवी उपकेन्द्र मय संबद्ध उच्च दाब लाइनें, 11/0.

4केवी उपकेन्द्र तथा संबद्ध अधोसंरचना, 33 केवी बे मय अति उच्च वोल्टेज उपकेन्द्र पर स्विचगियर को सम्मिलित करते हुए। उपकेन्द्र की क्षमता आवेदक द्वारा आवेदित संयोजित भार के अनुसार रूपांकित की जाएगी :

परन्तु यह कि नवीन/विद्यमान आवेदक(गण) जो 4 एमवीए से अधिक तथा 10 एमवीए तक की संविदाकृत मांग से युक्त हैं तथा जो दो वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के भीतर अवस्थित हों, परस्पर सहमति तथा अनुबन्ध/करार के आधार पर संयुक्त रूप से 33केवी उपकेन्द्र आवेदक(ों) के अगुआ (लीडर) जिसके नाम का उल्लेख आवेदक(ों) द्वारा दाखिल किये गये संयुक्त आवेदन में किया जाएगा, के परिसर में स्थापित कर सकेंगे।

(ग) यदि मांग किया गया प्राक्कलित संयोजित भार 10 एमवीए से अधिक है :– 400/220/132/33/11 केवी उपकेन्द्र मय संबद्ध उच्च दाब लाइनें, 11/0.4 केवी उपकेन्द्र तथा संबद्ध अधोसंरचना। उपकेन्द्र की क्षमता आवेदक द्वारा आवेदित संयोजित भार के अनुसार रूपांकित की जाएगी।

(घ) ऐसे प्रकरणों में जहां किसी आवेदक हेतु विद्युत प्रदाय विस्तार कार्य के निष्पादन में मार्ग–अधिकार (राईट ऑफ वे)/प्रणाली संबंधी बाध्यताएं (सिस्टम कान्स्टेंट्स) जैसी समस्याओं के कारण बाधा उत्पन्न हो रही हो तथा ऐसे आवेदक/आवेदकों को संयुक्त रूप से लागू होती हो वहां अनुज्ञप्तिधारी विद्युत प्रदाय के विस्तार हेतु नवीन प्रौद्योगिकियों/प्रणाली उन्नयन के क्रियान्वयन द्वारा समस्या का समाधान कर सकेगा। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ऐसी प्रौद्योगिकियों के सफलतापूर्वक अपनायें जाने पर किये गये व्यय की वसूली आवेदक से या आवदेकों से यदि उनकी संख्या एक से अधिक है, संयुक्त रूप से तथा भावी आवेदकों से भी प्रति किलोवाट (मांग किये गये संयोजित भार के अनुसार) के आधार पर कर सकेगा।

(ङ) औद्योगिक पार्क, या औद्योगिक क्षेत्र या औद्योगिक विकास केन्द्र के विद्युतीकरण के पश्चात् वैयक्तिक उपभोक्ताओं की विद्युत प्रदाय व्यवस्था एक उपभोक्ता/आवेदक की संबद्ध श्रेणी के अनुसार दाब इन विनियमों के विनियम 4.2(क) से 4.2(ग) में दी गई प्रक्रिया के अनुसार निम्न दाब उपभोक्ता/आवेदक को तथा विनियम 4.3.1 के अनुसार अति उच्च दाब/उच्च दाब उपभोक्ता/आवेदक को संयोजन प्रदान किया जाएगा।

4.3.3 उपरोक्त दर्शाये गये के अतिरिक्त, विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभारों की राशि संविदा मांग या उसके किसी अंश हेतु रू. 1260 प्रति केवीए की दर से देय होगी। 33 केवी तथा इससे अधिक हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्राप्त किये गये विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभारों में से संविदा मांग की रू. 1100 प्रति केवीए अथवा इसके किसी अंश की राशि प्रत्यक्ष रूप से अति उच्च दाब उपकेन्द्र (EHT Substation) पर अधोसंरचना विकास हेतु पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों के व्यय के आंशिक वित्त पोषण हेतु पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को प्रेषित कर दी जाएगी।

4.3.4 वितरण अनुज्ञप्तिधारी आवेदकों से यथोचित प्राक्कलित राशि तथा विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभार संग्रहण करने के पश्चात् अनुबन्ध/करार निष्पादित करेगा तथा कार्य का निष्पादन

करेगा। वैकल्पिक तौर पर आवेदकगण यदि इच्छुक हो/हों तो उन्हें अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रचलित दर अनुसूची के अनुसार प्राक्कलित कार्य की लागत का 5 प्रतिशत पर्यवेक्षण प्रभारों हेतु जमा कराने के पश्चात् अनुमोदित अनुज्ञप्तिप्राप्त (लाइसेंसधारी) ठेकेदार/अभिकरण (agency) से कार्य का निष्पादन करायेगा। उपभोक्ताओं/आवेदकों को त्वरित संदर्भ हेतु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपनी वेबसाइट पर अनुज्ञप्तिप्राप्त (लाइसेंसधारी) ठेकेदारों की सूची प्रदर्शित की जाएगी :

परन्तु यह कि जहां ऐसे कार्य वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ऐसी अस्थाई विद्युत प्रदाय हेतु निष्पादित किये गये हों तथा जिनका भुगतान ऐसे अस्थाई विद्युत प्रदाय चाहने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया हो, तो ऐसा व्यक्ति ऐसी अस्थाई विद्युत प्रदाय व्यवस्था के विच्छेद किये जाने के समय तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी को ऐसी सुविधाएं वापस किये जाने के समय ऐसे कार्यों का अवमूल्यित मूल्य तथा अन्य रद्दी सामग्री के मूल्य (स्क्रेप वैल्यू) का आकलन (क्रेडिट) प्राप्त कर सकेगा।

4.4 <u>सुसंबद्ध राज्य शासन विनियमों के अधीन विकसित की गई कालोनियां/अभिन्यास जिनमें अभी तक विद्युतीकरण की लागत राशि का भुगतान जमा न किये जाने के कारण विद्युतीकरण नहीं किया जा सका हो, को विद्युत की आपूर्ति</u> :

4.4.1 पूर्व में कतिपय क्षेत्रों मेंकुछ आवासीय कॉलोनियां, विकासक (डेवलपर)/भवन निर्माता (बिल्डर)/समिति (सोसायटी)/उपभोक्ता संगठनों द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी को विद्युतीकरण की लागत राशि का भुगतान न किये जाने के कारण बिना विद्युतीकरण हुए छूट गई थीं। अतः इन क्षेत्रों के रहवासियों को दीर्घ–अवधि के लिये विद्युत प्राप्ति हेतु अस्थाई संयोजन प्राप्त करने आवश्यक होते हैं। इससे ऐसे उपभोक्ताओं/आवेदकों को काफी कष्ट होता है। अतएव, उपरोक्त श्रेणी के उपभोक्ता/आवेदक जो नवीन संयोजन के इच्छुक हों, की कठिनाईयों के निवारण हेतु, वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ऐसे आवेदक हेतु ऐसी अविद्युतीकृत आवासीय कालोनियों में विद्युत प्रदाय के विस्तार के लिये आवश्यक अधोसंरचना के सृजन हेतु, निम्न प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा:

एक. वितरण अनुज्ञप्तिधारी सम्पूर्ण गैर–विद्युतीकृत क्षेत्र/बहु–उपभोक्ता संकुल (कॉम्पलेक्स)/कॉलोनी में अधोसंरचना स्थापित किये जाने हेतु संयोजित भार तथा प्रभारों काप्राक्कलन प्रचलित दर–अनुसूची (Current Schedule of Rates) के आधार पर तैयार करेगा। तथापि, गैर–विद्युतीकृत/बहु–उपभोक्ता कॉम्पलेक्स/कॉलोनी हेतु संयोजित भार आकलन के मापदण्ड पर विचार के प्रयोजन से यथाप्रयोज्य तथा यथासंशोधित विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 का परामर्श लिया जा सकेगा।

दो. प्रवर्तक (प्रोमोटर)/भवन निर्माता (बिल्डर) अथवा आवेदक(ों) को इस आशय का प्राक्कलन प्रदाय किया जाएगा जिन्हें प्राक्कलन राशि को वितरण अनुज्ञप्तिधारी के खाते में कार्य प्रारंभ करने से पूर्व जमा करना होगा।

अथवा

आवेदक यदि इच्छुक हो, तो उसे कार्य की प्राक्कलित लागत के 7 प्रतिशत पर्यवेक्षण प्रभारों को जमा कराये जाने की अनुमति प्रदान की जाएगी तथा उसके द्वारा ऐसे पर्यवेक्षण प्रभारों की संपूर्ण राशि जमा कराये जाने पर ही, आवेदक द्वारा कार्य का निष्पादन किसी अनुमोदित अनुज्ञप्तिप्राप्त ठेकेदार/अभिकरण (एजेन्सी) से कराया जा सकेगा। तथापि, ऐसे प्रकरणों में, कॉलोनी के आंशिक कार्य को प्रभारित किये जाने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।

अथवा

आवासीय कॉलोनी के वैयक्तिक उपभोक्ता/आवेदकद्वारा निम्न दर्शाई गई राशि अनुज्ञप्तिधारी के पास कॉलोनी के विद्युतीकरण कार्य हेतु जमा कराई जा सकेगी तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी क्षेत्र के आंशिक क्षेत्र के विद्युतीकरण का कार्य, उक्त कार्य हेतु जो आवासीय कॉलोनी के वैयक्तिक उपभोक्ता/आवेदक से प्राप्त की गई हो, आंशिक विद्युतीकरण कार्य प्रारंभ किया जा सकेगा। उपभोक्ता के स्वामित्व वाले क्षेत्र में विद्युतीकरण कार्य के उपरान्त, उपभोक्ता/आवेदक द्वारा स्थाई संयोजन प्राप्त किया जाएगा। उपभोक्ता/आवेदक को उसके परिसर तक सेवा तन्तुपथ (सर्विस लाइन) स्थापित करने संबंधी व्यवस्था अपनें स्वयं के व्यय पर करनी होगी।

क्रमांक	विवरण	कॉलोनी की सम्पूर्ण विद्युतीकरण व्यवस्थाकी प्रत्याशा में देय प्रभार (रूपये प्रति केवीए)
1	जहां कॉलोनी का प्राक्कलित भार न 5,000 किलोवाट से अधिक न हो	रू. 5,050/–
2	जहां कॉलोनी का प्राक्कलित भार 1,500 किलोवाट से अधिक हो	रू. 6,730/–

तीन. यदि किसी विद्युतीकृत कॉलोनी के क्षेत्र का विस्तार किया जाता है तथा विस्तारित क्षेत्र का विद्युतीकरण किया जाना अपेक्षित हो, तो ऐसी दशा में विकासक (डेवलपर)/भवन निर्माता (बिल्डर)/समिति (सोसायटी)/उपभोक्ताओं/आवेदकों का संघ (एसोसियेशन)/उपभोक्ता/आवेदक को वितरण अनुज्ञप्तिधारी को विस्तारित क्षेत्र के विद्युतीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा तथा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उसके स्वामित्व वाले विस्तारित क्षेत्र हेतु उपभोक्ता/आवेदक से भुगतान प्राप्त होने पर ही विद्युतीकरण का कार्य प्रारंभ किया जाएगा।

चार. उपरोक्त के अतिरिक्त, वैयक्तिक उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभार (सप्लाई अफोर्डिंग चार्जेस) के 10 प्रतिशत की दर से जैसा कि इन्हें विनियम 4.1.4 में निर्दिष्ट किया गया है, जमा करने होंगे।

4.5 <u>गंदी बस्ती क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति हेतु</u> :

4.5.1 उपरोक्त उपश्रेणी में निम्नलिखित क्षेत्र आते हैं :

एक. अधिसूचित गन्दी बस्ती क्षेत्र

दो. अधिसूचित गन्दी बस्ती क्षेत्रों के अतिरिक्त गन्दी बस्ती क्षेत्र

4.5.2 उपरोक्त क्षेत्रों के विद्युतीकरण हेतु निम्न प्रक्रियाओं का अनुसरण किया जाएगा :

एक. वितरण अनुज्ञप्तिधारी उपरोक्त उल्लेखित क्षेत्रों को नगरपालिक निगम/नगर पालिका/नगर परिषद/ग्राम पंचायत से प्राप्त की गई सूची के आधार पर चिन्हांकित करेगा तथा इनके लिये क्षेत्रवार प्राक्कलन तैयार करेगा। संयोजित भार का आकलन समय–समय पर यथासंशोधित तथा प्रयोज्य विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 के प्रावधानों के आधार पर किया जाएगा।

दो. उपरोक्त प्राक्कलनों के आधार पर प्रति किलोवॉट विद्युतीकरण {केवल निम्न दाब तन्तुपथ (लाइन) तथा ट्रांसफार्मर हेतु} की लागत की घोषणा की जाएगी तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इसे वृहद प्रचार–प्रसार हेतु समाचार–पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा। उपभोक्ताओं/आवेदकों से वसूली योग्य विद्युतीकरण की लागत रू. 5,050 प्रति केवीए से अधिक न होगी।

तीन. वितरण अनुज्ञप्तिधारी सांसद/विधान सभा सदस्य/भारत सरकार/मध्यप्रदेश सरकार/आश्रय निधि, अनुसूचित जाति उपयोजना, अनुसूचित जनजाति उपयोजना, जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम), एकीकृत आवास एवं गन्दी बस्ती विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी), एमपीयूएसपी(डीएफआईडी) आदि जैसी योजना से प्राप्त निधि का उपयोग कर सकेगा तथा उक्त सीमा तक उपरोक्त क्षेत्र के उपभोक्ताओं हेतु प्राक्कलित राशि को आकलित (क्रेडिट) कर सकेगा।

चार. अनुज्ञप्तिधारियोंद्वारा कार्य को विभागीय तौर पर क्षेत्र जहां विद्युतीकरण किया जाना अपेक्षित है, के आवेदकों द्वारा प्राक्कलन में दर्शाई गई 75 प्रतिशत राशि जमा कराने पर ही प्रारंभ किया जाएगा। शेष 25 प्रतिशत राशि की वसूली क्षेत्र के आगामी उपभोक्ताओं/आवेदकों से की जाएगी।

पांच. वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उपभोक्ताओं/आवेदकोंसे प्राप्त किया गया भुगतान केवल उनके कार्य हेतु ही उपयोग में लाया जाए। इसका अनुश्रवण (मानीटंरिग) किसी ऐसे अधिकारी द्वारा किया जाएगा जिसका स्तर अधीक्षण यंत्री/महाप्रबन्धक के स्तर से कम न होगा।

छः. वैकल्पिक तौर पर, आवेदकयदि इच्छुक हो, तो उसे पर्यवेक्षण प्रभार, कार्य की प्राक्कलित राशिके 5 प्रतिशत की दर से जमा किये जाने बाबत् अनुमति प्रदान की जाएगी तथा ऐसे पर्यवेक्षण प्रभारों के जमा किये जाने पर आवेदक द्वारा कार्य किसी अनुमोदित अनुज्ञप्तिप्राप्त ठेकेदार/अभिकरण (एजेन्सी) के माध्यम से निष्पादित कराया जा सकेगा। उपभोक्ताओं/आवेदकों को त्वरित संदर्भ हेतु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपनी वेबसाइट पर अनुज्ञप्तिप्राप्त (लाइसेंसधारी) ठेकेदारों की सूची प्रदर्शित की जाएगी।

सात. ऐसी दशा में जहां उपभोक्ता/आवेदक उपरोक्त दर्शाई गई राशि को उक्त वर्ष में जिसके अन्तर्गत इसका प्राक्कलन स्वीकृत किया गया हो, जमा नहीं करता हो तो उपभोक्ता/आवेदक को आवेदन प्रस्तुत करते समय उपरोक्त (दो)में दर्शायेनुसार विद्युतीकरण की लागत में 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष अथवा उसके किसी अंश को जोड़कर राशि जमा करनी होगी।

आठ. उपरोक्त के अतिरिक्त, वैयक्तिक उपभोक्ता/आवेदक को विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभार (सप्लाई अफोर्डिंग चार्जेस) की 10 प्रतिशत दर से जैसा कि जैसा कि इन्हें विनियम 4.1.4 में विनिर्दिष्ट किया गया है, भुगतान करना होगा।

4.6 घोषित/अघोषित अवैध कॉलोनियों की विद्युत की अपूर्ति हेतु :

4.6.1 अधिसूचित अवैध कॉलोनियों में जहां नागरिक सुख–सुविधाओं का अभाव हैके विद्युतीकरण हेतु निम्न प्रक्रियाओं का अनुसरण किया जाएगा :

एक. वितरण अनुज्ञप्तिधारी उपरोक्त उल्लेखित क्षेत्रों को नगरपालिक निगम/नगर पालिका/नगर परिषद से प्राप्त की गई सूची के आधार पर चिन्हांकित करेगा तथा इनके लिये क्षेत्रवार प्राक्कलन तैयार करेगा। संयोजित भार का आकलन समय–समय पर यथासंशोधित तथा प्रयोज्य विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 के प्रावधानों के आधार पर किया जाएगा।

दो. उपरोक्त प्राक्कलनों के आधार पर विद्युतीकरण की लागत प्रति किलोवाट में आवश्यक वांछित अधोसंरचना {जैसे कि 33/11 केवी उपकेन्द्र, 33 केवी तन्तुपथ (लाइन), 11 केवी तन्तुपथ (लाइन), निम्न दाब तन्तुपथ (लाइन) तथा वितरण ट्रांसफार्मर} को सम्मिलित किया जाएगा तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु समाचार–पत्रों में घोषित तथा प्रकाशित किया जाएगा। उपभोक्ता/आवेदक से वसूलीयोग्य विद्युतीकरण की लागत का मूल्यांकन प्रति किलोवाट भार के आधार पर किया जाएगा जैसा कि इसका उल्लेख ऊपर किया गया है।

तीन. वितरण अनुज्ञप्तिधारी सांसद/विधान सभा सदस्य/भारत सरकार/मध्यप्रदेश सरकार की किसी भी योजना से प्राप्त निधि का उपयोग कर सकेगा तथा उक्त सीमा तक उपरोक्त क्षेत्र के उपभोक्ताओं हेतु प्राक्कलित राशि को आकलित (क्रेडिट) कर सकेगा।

चार. अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा कार्य को विभागीय तौर पर क्षेत्र जहां विद्युतीकरण किया जाना अपेक्षित है, के आवेदकों द्वारा प्राक्कलन में दर्शाई गई 75 प्रतिशत राशि जमा कराने पर ही प्रारंभ किया जाएगा। शेष 25 प्रतिशत राशि की वसूली क्षेत्र के आगामी उपभोक्ताओं/आवेदकों से की जाएगी।

पांच. वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उपभोक्ताओं/आवेदकोंसे प्राप्त किया गया भुगतान केवल उनके कार्य हेतु ही उपयोग में लाया जाए। इसका अनुश्रवण (मानीटरिंग) किसी ऐसे अधिकारी द्वारा किया जाएगा जिसका स्तर अधीक्षण यंत्री/महाप्रबन्धक के स्तर से कम न होगा।

छः. वैकल्पिक तौर पर, आवेदक यदि इच्छुक हो, तो उसे पर्यवेक्षण प्रभार, कार्य की प्राक्कलित राशि के 7 प्रतिशत की दर से जमा किये जाने बाबत् अनुमति प्रदान की जाएगी तथा ऐसे पर्यवेक्षण प्रभारों के जमा किये जाने पर आवेदक(ों) द्वारा कार्य किसी अनुमोदित अनुज्ञप्तिप्राप्त ठेकेदार/अभिकरण (एजेन्सी) के माध्यम से निष्पादित कराया जा सकेगा। उपभोक्ता/आवेदक के त्वरित संदर्भ हेतु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपनी वेबसाइट पर अनुज्ञप्तिप्राप्त (लाइसेंसधारी) ठेकेदारों की सूची प्रदर्शित की जाएगी।

सात. ऐसी दशा में जहां उपभोक्ता/आवेदक उपरोक्त दर्शाई गई राशि को उक्त वर्ष में जिसके अन्तर्गत इसका प्राक्कलन स्वीकृत किया गया हो, जमा नहीं करता है तो उपभोक्ता/आवेदक को आवेदन प्रस्तुत करते समय उपरोक्त (दो) में दर्शायेनुसार विद्युतीकरण की लागत में 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष अथवा उसके किसी अंश को जोड़कर राशि जमा करनी होगी।

आठ. उपरोक्त के अतिरिक्त, वैयक्तिक उपभोक्ताअ/आवेदक को विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभार, 10 प्रतिशत की दर से जैसा कि इन्हें विनियम 4.1.4 में विनिर्दिष्ट किया गया है, का भुगतान करना होगा।

4.6.2 अघोषित अवैध कॉलोनियां जहां नागरिक सुख–सुविधाओं का अभाव है वहां विद्युतीकरण हेतु निम्न प्रक्रियाओं का अनुसरण किया जाएगा :

एक. वितरण अनुज्ञप्तिधारी ऐसे क्षेत्रों को चिन्हांकित करेगा जिन्हें अवैध कॉलोनियों के रूप में चिन्हांकित नहीं किया गया है तथा ऐसी कॉलोनियों हेतु क्षेत्रवार प्राक्कलन तैयार करेगा। ऐसी कॉलोनियों के लिये संयोजित भार का आकलन समय–समय पर यथासंशोधित तथा यथाप्रयोज्य मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

दो. अघोषित अवैध कॉलोनियों हेतु विनियमों 4.6.1 (दो), (तीन), (पांच), (सात) तथा (आठ) में प्रदत्त प्रक्रिया लागू होंगी।

तीन. इसके अतिरिक्त, आवेदकों के पास अघोषित अवैध कॉलोनियों में विद्युतीकरण कार्य निम्न विधियों में से किसी भी एक के अनुसार सम्पन्न कराये जाने का विकल्प होगा :

(क) कार्य की प्राक्कलित लागत की शत प्रतिशत राशि जमा कराना जिस हेतु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युतीकरण कराया जाएगा ; अथवा

(ख) वैकल्पिक तौर पर, यदि वह इच्छुक हो तो कार्य की प्राक्कलित लागत के 5 प्रतिशत की दर से पर्यवेक्षण प्रभारों की राशि को जमा करना, आवेदक(ों) द्वारा अनुमोदित अनुज्ञप्तिप्राप्त (लाइसेंसधारी) ठेकेदार/अभिकरण के माध्यम से कार्य का निष्पादन कराना। उपभोक्ताओं/आवेदकों के त्वरित संदर्भ हेतु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपनी वेबसाइट पर अनुज्ञप्तिप्राप्त (लाइसेंसधारी) ठेकेदारों की सूची प्रदर्शित की जाएगी।

चार. यदि इस प्रकार अघोषित अवैध कॉलोनियों का पूर्ण विद्युतीकरण, जो 500 केवीए या 400 किलोवाट का प्राक्कलित भार धारित करते हों, व्यावहारिक न हो क्योंकि ऐसी कॉलोनी के केवल कुछ भूखण्ड (प्लाट)/भवन स्वामी या आवेदक स्थाई संयोजन की स्वीकृति हेतु आवेदन प्रस्तुत करते हैं। ऐसे प्रकरणों में, प्राक्कलित संयोजित भार का आकलन समय–समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 के उपबन्धों के अनुसार किया जाएगा तथा उपभोक्ता/आवेदक को विद्युतीकरण हेतु रू 15567 प्रति किलोवाट के प्रभारों का भुगतान करना होगा।

पांच. भविष्य में, ऐसी अघोषित अवैध कालोनियों में यदि उपभोक्ता/आवेदक विद्युत संयोजन हेतु इच्छा व्यक्त करता हो तो वितरण प्रसंवाहियों (mains) की उपलब्धता या इसके विद्यमान वितरण प्रसवाहियों के अन्तर्गत न आने के बावजूद भी उसे विद्युतीकरण हेतु रू. 15,567 (रूपये पन्द्रह हजार पांच सौ सड़सठ मात्र) प्रति किलोवाट का भुगतान करना होगा।

4.7 150 अश्वशक्ति से अधिक के निम्न दाब संयोजनों को उच्च दाब में परिवर्तन किया जाना –

4.7.1 150 अश्वशक्ति (112 किलोवॉट) से अधिक संयोजित भार के विद्यमान निम्न–दाब संयाजनों के प्रकरणों में, जो उच्च–दाब संयोजनों में, उपभोक्ता/आवेदक के परिसर में स्थान उपलब्ध न होने के कारण, स्वयं के ट्रांसफार्मर की स्थापना हेतु, परिवर्तित नहीं किये जा सके हों, वहां पर वितरण अनुज्ञप्तिधारी, उच्च–दाब संयोजन, अनुज्ञप्तिधारी के स्वामित्व वाले ट्रांसफार्मर से जो उपभोक्ता/आवेदक परिसर से बाहर कहीं भी स्थित हो, निम्नलिखित निबन्धनों तथा शर्तों पर उपलब्ध कराएगा :

(क) उपभोक्ता/आवेदक, परिवर्तन के समय, प्रचलित दर–अनुसूची (करंट शेड्यूल ऑफ रेट्स) के अनुसार ट्रांसफार्मर उपकेन्द्र की प्राक्कलित लागत में से पूर्व में भुगतान की गई ट्रांसफार्मर उपकेन्द्र की लागत, यदि कोई हो, को घटाकर भुगतान करेगा।

(ख) ट्रांसफार्मर उपकेन्द्र का नियतकालिक (रूटीन) संधारण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया जाएगा जिस हेतु उपभोक्ता/आवेदक को संधारण प्रभारों का भुगतान विनिर्दिष्ट दरों पर करना होगा। यदिविद्यमान ट्रांसफार्मर को उपभोक्ता/आवेंदककी संविदा मांगको दृष्टिगत रखते हुए हुए परिवर्तित किया जाना आवश्यक हो तो अनुज्ञप्तिधारी, उचित क्षमता द्वारा इसे प्रतिस्थापित/परिवर्तित कर सकेगा।

(ग) वितरण अनुज्ञप्तिधारी छोर खंभे (टर्मिनल पोल) से निम्न–दाब केबल उपभोक्ता/आवेदक के परिसर में संयोजन बिन्दु तक स्थापित करेगा जिसकी लागत उपभोक्ता/आवेदकद्वारा वहन की जाएगी।

(घ) उपभोक्ता/आवेदक उच्च–दाब आपूर्ति हेतु अनुबन्ध का निष्पादन करेगा।

(ङ) ट्रांसफार्मर का उपयोग केवल विशिष्ट उच्च–दाब उपभोक्ता हेतु ही किया जा सकेगा। ट्रांसफार्मर तथा उससे संबद्ध उपकरणों के विफल हो जाने की दशा में,

वितरण अनुज्ञप्तिधारी को इसे बदलना होगा तथा इसे बदले जाने की लागत केवल उपभोक्ता/आवेदक द्वारा ही वहन की जाएगी।

(चं) उपभोक्ता/आवेदक का मीटरीकरण उच्च–दाब पक्ष की ओर किया जाएगा जिसे बिलिंग मापयन्त्र (मीटर) माना जाएगा। उपभोक्ता/आवेदक परिसर में निम्न–दाब पक्ष की ओर एक ट्राईवेक्टर/बाईवेक्टर जांच मापयन्त्र (चेक मीटर) की स्थापना की जाएगी जिसका वाचन प्रत्येक बार उच्च–दाब मापयन्त्र के साथ–साथ किया जाएगा। उपभोक्ता परिसर में स्थापित निम्न–दाब मापयन्त्र के बचाव तथा सुरक्षा के लिये भी उपभोक्ता/आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।

(छ) ऐसे प्रकरण में जहां उपभोक्ता/आवेदक का पोषण विद्यमान ट्रांसफार्मर जिसमें एक से अधिक संयोजन हों, से किया जा रहा हो, अनुज्ञप्तिधारी एक पृथक अतिरिक्त ट्रांसफार्मर स्थापित करेगा जिसकी लागत उपभोक्ता द्वारा वहन की जाएगी जिस हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी को भूमि उपभोक्ता द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। उपभोक्ता को अनुज्ञप्तिधारी के साथ उपरोक्त दर्शाई गई विशेष कण्डिका सहित एक उच्चदाब अनुबंध/करार निष्पादित करना होगा।

अध्याय–पांच

5. <u>उपभोक्ताओं से वसूली योग्य अन्य प्रभार</u> –

5.1 जैसा कि विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 45(3)(ख) में प्रावधान किया गया है, वितरण अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ताओं से वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदत्त किसी विद्युत मापयन्त्र (मीटर) या विद्युत संयन्त्र (प्लांट) के संबंध में इन विनियमों के अनुलग्नक एक में किये गये प्रावधान के अनुसार उपभोक्ताओं से भाड़ा या अन्य प्रभार की वसूली कर सकेगा। मापन प्रभार (मीटरिंग चार्जेस), (यदि कोई हों), तो वे आयोग द्वारा समय–समय पर जारी तत्संबंधी खुदरा आपूर्ति विद्युत–दर आदेश (रिटेल सप्लाई टैरिफ आर्डर) के अनुसार प्रयोज्य होंगे।

अध्याय–छः

6. विविध

6.1 प्रभारों का लेखांकन –

क. उपरोक्त प्रभारों में किसी प्रकार का कर सम्मिलित नहीं किया गया है जिसका भुगतान किसी उपभोक्ता/आवेदक द्वारा प्रचलित किसी विधि के अनुसार किया जाना अपेक्षित हो।

ख. इन विनियमों के अन्तर्गत संग्रह किये गये प्रभारों को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा एक पृथक लेखा के अन्तर्गत संधारित किया जाएगा। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस पृथक लेखे की निधि का उपयोग वितरण/अति उच्च दाब प्रणाली के आवर्धन और/या नवीन वितरण/अति उच्च दाब प्रणाली के सृजन में किया जाए। इसका सत्यापन सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा किया जाएगा तथा इस उपबंध के परिपालन अथवा अन्य प्रकार से इसे वार्षिक वित्तीय विवरण–पत्रों पर अंकेक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जाएगा :

एक. इन विनियम में दर्शाये गये विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभार (सप्लाई अफोर्डिंग चार्जेस)।

दो. इन विनियमों में दर्शाई गई अधोसंरचना/विद्युतीकरण की लागत (पर्यवेक्षण प्रभारों को छोड़कर)।

ग. इन विनियमों के अन्तर्गत, अनुज्ञेय किये प्रभारों/लागतों को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपनी लेखा–पुस्तकों में पृथक से दर्शाया जाएगा। इन्हें निक्षेप कार्यों (डिपाजिट वर्क्स) हेतु वसूल की गई लागत के रूप में माना जाएगा तथा इनका लेखांकन संव्यवहार उसी प्रकार किया जाएगा जैसा कि वह उपभोक्ताओं के अंशदान के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। इस संबंध में विस्तृत निर्देशों का उल्लेख इन विनियमों के अनुलग्नक–दो में किया गया है।

6.2 निम्न दाब तथा उच्च दाब भार हेतु कारक (पावर फेक्टर) –

भार को किलोवाट (KW) से केवीए (KVA) में परिवर्तन हेतु निम्न कारक (फेक्टर) का उपयोग किया जा सकेगा :

(एक) किलोवाट (KW) = 0.8 x केवीए (KVA) (निम्न दाब संयोजनों हेतु)

(दो) किलोवाट (KW) = संयोजनों हेतु 0.9 x केवीए (KVA) (अति उच्चदाब/उच्चदाब संयोजनों हेतु)

6.3 कठिनाइयां दूर करने संबंधी शक्ति :

यदि इन विनियमों के किसी भी उपबन्ध को मूर्त रूप देने में कोई कठिनाई आती हो तोइस हेतु आयोग उसे प्रभाव दिये जाने हेतु कोई सामान्य अथवा विशेष आदेश जारी कर सकेगा।

6.4 आदेशों को जारी करना तथा व्यावसायिक दिशा–निर्देश :

विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों तथा इन विनियमों के अध्यधीन, आयोग समय–समय पर आदेश तथा व्यावसायिक दिशा–निर्देश इन विनियमों को लागू करने तथा प्रक्रिया जिसका परिपालन किया जाना है, जारी कर सकेगा।

6.5 संशोधन के अधिकार :

एक. आयोग किसी भी समय इन विनियमों में परिवर्धन, परिवर्तन, सुधार या संशोधन कर सकेगा। किसी भी श्रेणी के उपभोक्ताओं हेतु उपरोक्त प्रभारों में आयोग की अनुमति के बिना परिवर्तन किये जाने की अनुमतिनहीं है। आयोग की अनुमति के बिना किसी भी आदेश को शून्य और अप्रवृत्त माना जाएगा।

दो. इन विनियमों के उपबंध उपभोक्ता को लागू होंगे, भले ही इन विनियमों की अधिसूचना से पूर्व मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता तथा अन्य विनियमों में कुछ भी निहित क्यों न हो।

6.6 निरसन तथा व्यावृत्ति :

एक. इन विनियमों में कुछ भी आयोग को ऐसे आदेश जारी करने की अन्तर्निहित शक्तियों को सीमित या अन्यथा प्रभावित करने वाला नहीं माना जाएगा जो न्यायदान हेतु या आयोग की प्रक्रिया के दुरूपयोग को रोकने के लिए आवश्यक हों।

दो. इन विनियमों में कुछ भी आयोग को ऐसे प्रक्रियाएं अपनाने से नहीं रोकेगा जो इन विनियमों से भिन्न हों किन्तु अधिनियम के प्रावधानों के अनुकूल हों तथा यदि आयोग किसी विषयया विषयों के वर्ग की विशेष परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, तथा ऐसे कारणों को अभिलिखित करते हुएऐसे विषय या विषयों के वर्ग के निराकरण हेतु आवश्यक एवं उचित समझे।

तीन. इन विनियमों में कुछ भी प्रत्यक्ष या अंतर्निहित रूप से किसी विषय के निर्वहन या अधिनियम के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग से आयोग को नहीं रोकेगा जिनके लिए पृथक से विनियम नहीं बनाए गये हैं तथा आयोग ऐसे विषयों, शक्तियों एवं कार्यो पर ऐसे तरीके से कार्यवाही कर सकेगा जैसा कि वह उचित समझे।

चार. मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 07.09.2009 को अधिसूचित "मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षित प्रथम) विनियम, 2009" सहपठित (आरजी–31(I), वर्ष 2009) विषयवस्तु से संबद्ध समस्त प्रयोज्य संशोधनों को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

पांच. इस "मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाइन प्रदान करने अथवा उपयोग किये संयन्त्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) (पुनरीक्षण–द्वितीय) विनियम, 2022 के हिन्दी रूपांतरण के प्रावधानों की व्याख्या या विवेचन या समझने की स्थिति में किसी भी प्रकार का विरोधाभास होने पर इसके अंग्रेजी संस्करण में दी गई विवेचना के अनुसार ही उसका तात्पर्य माना जाएगा एवं इस संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अन्तिम एवं बाध्य होगा।

आयोग के आदेशानुसार,
गजेन्द्र तिवारी, आयोग सचिव.

अनुलग्नक एक : मापन एवं अन्य प्रभारों की अनुसूची

(सहपठित विनियम 5.1)

एक. अन्य प्रभार

सरल क्रमांक	विवरण	रूपये प्रति कार्य
1	एक ही परिसर के भीतर मापयन्त्र (मीटर) सहित मापयन्त्र पटल (मीटर बोर्ड) का स्थानान्तरण (शिफ्टिंग) *	
(i)	समान परिसर में मापयन्त्र/मापयन्त्र पटल की स्थिति को बदलना	80
(ii)	उपभोक्ता परिसर में मापयन्त्र पटल के कटआऊटों का पुनर्मुद्रांकन (रिसिलिंग) करना, यदि मुद्रा (सील) टूटी हुई पाई जाए	25
	*मापयन्त्र (मीटर) को बदलने संबंधी किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा जब तक प्रकरण को चुनौती न दी गई हो तथा चुनौती को सही न ठहराया गया हो	
2	संगलकों (फ्यूज)/मापयन्त्र कार्डों (मीटर कार्ड) कोबदलना	
(i)	उपभोक्ता का कटआऊट संगलकों (फ्यूज) (निम्न दाब) को बदलना	30
(ii)	गुम हुए कार्डों को बदलना	रू 10 प्रति कार्ड
3	स्थाई तथा अस्थाई संयोजन (कनेक्शन) हेतु संयोजन विच्छेद (डिसकनेक्शन)/पुनर्संयोजन (रिकनेक्शन) प्रभार**	
(I)	निम्न दाब (लो टेंशन)	
(i)	कट आऊट या शिरोपरि प्रसंवाही (ओवहरहेड मेन्स) पर	340
(ii)	भूमिगत प्रसंवाही (अण्डरग्राऊंड मेन्स) पर	840
II	उच्च दाब (हाई टेंशन)	3360
	**प्रभारों में संयोजन विच्छेद (डिसकनेक्शन) तथा पुनर्संयोजन के प्रभार पृथक–पृथक वसूलीयोग्य होंगे	
4	स्थापनाओ का पुनर्मूल्यांकन (रीरेटिंग) जहां इसे उपभोक्ता के अनुरोध पर किया जाए	रूपये प्रति उपस्कर
(I)	एकल फेज संयोजन	150
(II)	10 ब्रेक हार्स पावर (बीएचपी) तक तीन फेज संयोजन	180
(III)	10 ब्रेक हार्स पावर (बीएचपी) से अधिक तीन फेज संयोजन	210
5	नवीन स्थापना के प्रथम परीक्षण के पश्चात् स्थापनाओं का परीक्षण करना अथवा यदि किसी विद्यमान स्थापना का विस्तार कार्य दोषपूर्ण पाया जाए अथवा वायरिंग ठेकेदार या उसका प्रतिनिधि अनुपस्थित रहता हो	220

दो. उपभोक्ता के अनुरोध पर परीक्षण प्रभार {मापयन्त्र (मीटर) करंट ट्रांसफार्मर (सीटी) तथा मापन उपकरण (मीटरिंग इक्विपमेंट}

सरल क्रमांक	विवरण	रूपये प्रति कार्य
1	एकल फेज ऊर्जा मापयन्त्र (एनर्जी मापयन्त्र)	80
2	तीन फेज 3/4 तार ऊर्जा मापयन्त्र, निम्न दाब सीटी के बगैर	170
3	तीन फेज 3/4 तार ऊर्जा मापयन्त्र, मय निम्न दाब सीटी के	1680

4	विशेष मापयन्त्र (मीटर) बाइवेक्टर / ट्राइवेक्टर	7680
5	निम्न दाब करंट ट्रांसफार्मर (एलटीसीटी)	500
6	33 / 11 केवी मापन उपकरण (मीटरिंग इक्विपमेंट)	5000
7	33 केवी से अधिक क्षमता का मापन उपकरण (मीटरिंग इक्विपमेंट)	8400
# यदि उपभोक्ता उपकरण की शुद्धता को चुनौती देता हो तथा उक्त दावा सही पाया जाता है तो उपरोक्त राशि उसे लौटा दी जाएगी।		

तीन. पुस्तिकाओं का मूल्य

सरल क्रमांक	विवरण	रूपये प्रति कार्य
1	प्रचलित यथा संशोधित मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2021	रू 100
2	टैरिफ अनुसूची पुस्तिका	रू 25

चार. (क) कृषि संयोजन को एक परिसर से अन्य परिसर में स्थानान्तरण करना

संयोजन के स्थानान्तरण हेतु प्रचलित दर अनुसूची (करंट शेड्यूल ऑफ रेट्स) के आधार पर तैयार किये गये प्राक्कलन के अनुसार वास्तविक व्यय की वसूली की जाएगी।

(ख) तन्तुपथ (लाइन) / उपकेन्द्र (सबस्टेशन) को एक स्थल से अन्य स्थल पर स्थानान्तरण करना

(ग) भारत माला परियोजना "के अधीन विद्युत तन्तुपथों (लाइनों), खंभों (पोल्स), तथा उपकेन्द्रों हेतु राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्यों हेतु पर्यवेक्षण प्रभार 2.5 प्रतिशत होगें।

उपभोक्ता को तन्तुपथ (लाइन) / उपकेन्द्र (सबस्टेशन) के स्थानान्तरण पर किये गये वास्तविक व्यय का भुगतान करना होगा।

वैकल्पिक तौर पर उपभोक्ता द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी / पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को यथास्थिति कार्य की लागत पर 5 प्रतिशत पर्यवेक्षण प्रभारों (सुपरविजन चार्जेस) का भुगतान करने पर कार्य का निष्पादन अनुमोदित अनुज्ञप्तिधारी (लाइसेंसधारी) ठेकेदार / अभिकरण (एजेन्सी) के माध्यम से सम्पन्न करा सकेगा।

पांच. जले हुए मापयन्त्र (मीटर) मापन उपकरण (मीटरिंग इक्विपमेंट) की लागत की वसूली

जले हुए मापयन्त्र (मीटर) मापन उपकरण (मीटरिंग इक्विपमेंट) की लागत की वसूली जब उपभोक्ता का इस बाबत उत्तरदायित्व स्थापित हो चुका हो	पूर्ण ह्रासित मूल्य (डेपरिशियेटेड कॉस्ट)

छः. मापयंत्र मीटर तथा संबद्ध उपकरण / मापन उपकरण (मीटरिंग इक्विपमेंट) की लागत की वसूली

यदि अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ताओं को नवीन संयोजन को सेवाकृत करते समय मापयंत्र (मीटर) तथा संबद्ध उपकरण / मापन उपकरण (मीटरिंग उपकरण) की आपूर्ति करता हो तो ऐसे मापयंत्र तथा संबद्ध उपकरण / मापन उपकरण की लागत उपभोक्ता द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी को नियतकालिक रूप से तैयार तथा प्रकाशित की गई दर–अनुसूची के अनुसार की जाएगी।

सात. तन्तुपथों, संयन्त्रों तथा उपकरणों को भाड़े पर लेना

एक वर्ष या इससे कम अवधि तक के भाड़ा अनुबन्ध की प्रारंभिक अवधि हेतु	प्रचलित दर अनुसूची के अनुरूपलागत का 1.5 प्रतिशत प्रति माह
भाड़ा अनुबन्ध की अनुवर्ती अवधि हेतु	प्रचलित दर अनुसूची के अनुरूपलागत का 1. 75 प्रतिशत प्रति माह
150 अश्वशक्ति (112 किलोवाट) से अधिक संविदा मांग से युक्त स्थाई उपभोक्ताओं हेतु जो उच्च दाब श्रेणी में परिवर्तन हेतु इच्छुक हो	प्रचलित दर अनुसूची के अनुरूपलागत का 2 प्रतिशत प्रति माह

आठ. बकाया राशि/पुराने अभिलेखों के रिकार्ड के सत्यापन हेतु शुल्क

(क) निम्न दाब–एकल फेज	सत्यापित तथा प्रमाणित किये गये रिकार्ड हेतु रू 40/– प्रति वर्ष अथवा बकाया राशि का 0. 1 प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो
(ख) निम्न दाब – तीन फेज	सत्यापित तथा प्रमाणित किये गये रिकार्ड हेतु रू 80/– प्रति वर्ष अथवा बकाया राशि का 0. 1 प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो
(ग) अति उच्च दाब/उच्च दाब	सत्यापित तथा प्रमाणित किये गये रिकार्ड हेतु रू 840/– प्रति वर्ष अथवा बकाया राशि का 0.1 प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो

नौ. विशेष मापयन्त्र वाचन हेतु शुल्क

(क) निम्न दाब उपभोक्ता	रू 25/– प्रति वाचन
(ख) उच्च दाब उपभोक्ता	रू 170/– प्रति वाचन

दस. पथ–प्रकाश (स्ट्रीट लाइट्स) के संधारण हेतु प्रभार

पथ प्रकाश व्यवस्था के संधारण संबंधी प्रभार स्थानीय निकायों तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी के मध्य निष्पादित परस्पर अनुबन्ध के अनुसार होंगे।

ग्यारह. समर्पित संभरक (फीडर) हेतु संधारण प्रभार

यदि उपभोक्ता को उसके अनुरोध पर समर्पित संभरक प्रदान किया जाता है या किया गया हो जो कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय के अतिरिक्त है।	ऐसे प्रकरण में उपभोक्ता को समर्पित संभरक वास्तविक लागत पर 2.5 प्रतिशत की दर से वार्षिक संधारण प्रभार वहन करने होंगे।

बारह. तत्काल योजना के अन्तर्गत अस्थाई संयोजन (कनेक्शन)

"तत्काल योजना" के अन्तर्गत अस्थाई विद्युत आपूर्ति हेतु अतिरिक्त प्रभार (कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर)	रू 20 प्रति किलोवाट संयोजित भार अथवा उसके किसी अंश पर, जिस हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है

तेरह. अनादरित चेक (Dishonoured Cheque) हेतु प्रभार

निम्न के संबंध में अनादरित चेक पर प्रभार	(रूपये प्रति चेक)
(एक) निम्न दाब उपभोक्ता	रू 150
(दो) अति उच्च दाब/उच्च दाब उपभोक्ता	रू 1,000

चौदह. सेवा के नामांतरण हेतु प्रभार

उपभोक्ता श्रेणी	(रूपये)
निम्न दाब उपभोक्ता	रू 170
उच्च दाब उपभोक्ता	रू 3,360

पन्द्रह. अति उच्च दाब/उच्च दाब/निम्न दाब उपभोक्ताओं हेतु पंजीकरण शुल्क

नवीन अति उच्च दाब/उच्च दाब/निम्न दाब उपभोक्ता तथा वह अति उच्च दाब/उच्च दाब/निम्न दाब उपभोक्ताओं जो अपने प्रदाय बिन्दु को परिवर्तित किया जाना तथा/अथवा संविदा मांग/संयोजित भार में वृद्धि किया जाना प्रस्तावित करता है, से निम्न दर्शायेनुसार पंजीकरण शुल्क आवेदन पत्र के साथ वसूली योग्य होगा। पंजीकरण शुल्क को अति उच्च दाब/उच्च दाब/निम्न दाब विद्युत प्रदाय प्राप्त किये जाने पर, उच्च दाब/उच्च दाब/निम्न दाब उपभोक्ता180 दिवस के भीतर विद्युत आपूर्ति का लाभ, या निम्न दाब उपभोक्ताओं के प्रकरण में संयोजित भार स्वीकृति के निर्धारित समय के भीतर तथा उच्च दाब आति उच्च दाब उपभोक्ताओं के प्रकरण में संविदा मांग यथास्थिति, प्राप्त न करता हो या फिर विद्युत कम्पनी द्वारा निम्न दाब उपभोक्ताओं को संयोजित भार की स्वीकृति पश्चात तथा उच्च दाब/अति उच्च दाब उपभोक्ता के प्रकरण में संविदा मांग की स्वीकृति पश्चात् अनुरोध को निरस्त करता हो।

सरल क्रमांक	उपभोक्ता श्रेणी	(रूपये प्रति आवेदन)
1	निम्न दाब उपभोक्ता (अ) गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के उपभोक्ता जिनके प्राक्कलित भार 500 वॉट तक के हैं। (i) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी	निरंक
	(ii) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत (आरजीजीव्हीवाय)	निरंक
	(iii) उपरोक्त (i) एवं (ii) में सम्मिलित के अतिरिक्त	50
	(ब) अन्य एकल फेज निम्न दाब घरेलू/गैर घरेलू उपभोक्ता	420
	(ग) शेष निम्न दाब उपभोक्ता	2500
2	अति उच्च दाब/उच्च दाब उपभोक्ता	16,800

सोलह. उच्च दाब उपभोक्ताओं हेतु ट्रांसफार्मर, तन्तुपथों (लाइनों) तथा अन्य उपकरण के रखरखाव/अनुरक्षण हेतु प्रभार :

यदि ट्रांसफार्मरों, तन्तुपथों (लाइनों) तथा अन्य संबद्ध उपकरणों का रखरखाव/अनुरक्षण उच्च दाब उपभोक्ता के अनुरोध पर वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दिया जाता है तो उपभोक्ता से रखरखाव/अनुरक्षण हेतु प्रभारों की वसूली प्रचलित दर सूची के अनुसार लागत पर 0.5 प्रतिशत की दर से की जाएगी।

अनुलग्नक–दो

अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा निम्न प्रक्रिया अपनाई जाएगी :

क. यदि नवीन परिसम्पत्ति का सृजन किया जाना हो तो,

एक. उपभोक्ता के अंशदान की प्राप्ति होने पर, बैंक खाते को विकलित (Debited) किया जाएगा तथा "उपभोक्ता अंशदान शीर्ष" को आकलित (credited) किया जाएगा।

दो. परिसम्पत्ति के [पूंजीकरण (Capitalization) के समय], क्रियाशील (Commissioning) होने पर, "उपभोक्ता अंशदान शीर्ष" को विकलित (debited) किया जाएगा तथा "विलंबित आय (उपभोक्ता अंशदान शीर्ष [Deferred Income (Consumer Contribution) Head]" को उपभोक्ता के अंशदान की मात्रा के अध्यधीन सीमित रखा जाएगा। परिसम्पत्ति को स्थाई परिसम्पत्ति (वर्ग 10) के लेखा शीर्ष के अन्तर्गत पूंजीकृत किया जाएगा।

ख. यदि किसी नवीन सम्पत्ति का सृजन नहीं किया जाना है तथा उपभोक्ता अंशदान विद्यमान परिसम्पत्ति के अनुसार है, तो बैंक लेखा को विकलित (debited) किया जाएगा तथा "विलंबित आय (उपभोक्ता अंशदान शीर्ष" को आकलित (credited) किया जाएगा।

ग. यदि उपभोक्ता द्वारा परिसम्पत्ति का सृजन विनियमों के अध्याय 3 के विनियम 3.9 के अन्तर्गत किया जाता है तो इसके क्रियाशील होने पर परिसम्पत्ति को विकलित (debited) किया जाएगा तथा "विलंबित आय (उपभोक्ता अंशदान) शीर्ष"को मय परिसम्पत्ति की वास्तविक कीमत के विकलित (credited) किया जाएगा।

घ. वार्षिक लेखा विवरण–पत्रों को तैयार करते सम, उपभोक्ता अंशदान से सृजित परिसम्पत्ति को अवमूल्यन लागत के प्रभाव को निष्प्रभावी (offset) किये जाने की दृष्टि से, "विलंबित आय (उपभोक्ता अंशदान) शीर्ष" को विकलित (debited) किया जाएगा तथा "विलंबित आय (उपभोक्ता अंशदान) शीर्ष" के प्रत्युत्सर्जन (amortization) से आय" को ऐसी परिसम्पत्ति के विरूद्ध भारित अवमूल्यन की सीमा के अंतर्गत आकलित (credited) किया जाएगा।

ङ. अनुज्ञप्तिधारी को "उपभोक्ता अंशदान प्राप्ति शीर्ष (Consumer Contribution Received Head)" "विलम्बित आय (उपभोक्ता अंशदान) शीर्ष Deferred Income (Consumer Contribution Head)" तथा "विलम्बित आय (उपभोक्ता अंशदान)" के प्रत्युत्सर्जन से आय "(Income from amortization of deferred income) (Consumer Contribution) Head" को उनके वार्षिक लेखों में निम्नानुसार दर्शाया जाएगा :

एक. तुलन पत्र (बैलेंस शीट)

उपभोक्ता अंशदान प्राप्ति शीर्ष को पृथक से निधि के स्त्रोत के अन्तर्गत दर्शाया जाएगा।

दो. लाभ तथा हानि लेखा (Profit & Loss Account)

अवमूल्यन	A
घटायें : विलम्बित आय (उपभोक्ता अंशदान) (प्रत्युत्सर्जन से आय) (प्रति वर्ष 10 प्रतिशत की दर से)	B
विलम्बित आय के उपरान्त अवमूल्यन (A–B)	C

तीन. तुलन–पत्र (बैलेंस शीट)

सकल खण्ड (Gross Block)	G
घटायें : विलम्बित आय (उपभोक्ता अंशदान)	H
घटायें : संचित अवमूल्यन (Accumulated Depreciation)	C
शुद्ध खण्ड (Net Block) (G-H-C)	K

च. उपभोक्ता अंशदान के माध्यम से पोषित कार्य को लेखा पुस्तकों में निक्षेप कार्य (Deposit Work) के रूप में अभिलिखित नहीं किया जाना चाहिए।

छ. कम्पनियों को अन्तिम प्रारंभिक तुलन पत्र (Final Opening Balance Sheet) के माध्यम से आवंटित राशि को "उपभोक्ता अंशदान/पंजी अनुदान (Capital grant) तथा सहायतानुदान (Subsidy) लेखा को अविलंब "विलम्बित आय (उपभोक्ता अंशदान/पंजी तथा सहायतानुदान लेखा)" के अन्तर्गत अन्तरित किया जाएगा तथा इसे 10 वर्षों की अवधि के अन्तर्गत बराबर किस्तों में 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से प्रत्युत्सर्जित किया जाएगा।